

फ़ाइल संख्या L-11015/76/2023-Reg.
भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
(सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय)

9वीं मंज़िल, टावर 'ई', वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नौरोजी नगर, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

संशोधन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 के नियमों के अनुसार, "नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (AMUL) ज़ोनल ऑफिस, 24/1, D-ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058" के नीचे दिए गए बाय-लॉज़ में बदलाव मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 (39 of 2002) के सेक्शन 11 के तहत रजिस्टर किए जाते हैं।

- (i) उप-नियम संख्या 2(1), 2(2), 4, 4(बी)(ए)(नया), 4(आई)(ए) (नया), 4(ओ), 4(ओ)(ए)(नया), 4(2)(नया), 12(आई), 12(वी), 14(3), 19(1)(VI), 20(1), 21(प्रावधान) (नया), 26(1), 38(1), 38(2), 38(3), 38(4), 38(6), 40(1), 41(2)(ए), 41(2)(एएल)(नया), 41(2)(सी), 41(2)(आई), 41(2)(पी), 42(1)(ए), 42(1)(टी), 42(2)(ए), 42(2)(सी), 42(2)(डी), 42(2)(ई) (नया), 42(2)(टी)(नया), 42(3)(नया), 42(4)(नया), 42-ए(नया), 44, 45(1), 45(9), 46, 46-ए(नया), 46-बी(नया), 51, 52(1), 55(1)(ii), 55(1)(iii), 55(1)(iv), 55(2)(सी), 56(बी), 56(डी), 56(ई), 58(1), 60(1), 60(1ए)(नया), 60(2) प्रावधान, 60(7)(ए) प्रावधान, 60(10)(नया), 60(11)(नया), 63(ए), 63-ए(नया), 64(ए), 64(टी), 65-ए (नया), 65-बी (नया), 65-सी (नया), 65-डी (नया), 67(1), 67(3) (नया), 72(2ए) (नया) और 72(5) (नया) अनुमोदित हैं।

सोसायटी का पता अब "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्लॉक-1, 8वीं मंज़िल, सफदरजंग एन्क्लेव, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029" होगा।

उपनियमों के साथ किसी भी विवाद की स्थिति में, उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

प्रबल। कूप के रजिस्ट्रार के मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत आज **29 दिसंबर, 2025** को ग्रीन।

(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार

को

29/12/25

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड

विश्व व्यापार केंद्र (डब्ल्यूटीसी), ब्लॉक-1, 8वीं मंज़िल, सफदरजंग एन्क्लेव,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

कार्यालय पोर्टल (www.cres.gov.in) के माध्यम से प्राप्त आपके प्रत्येक पत्राचार का हम स्वागत करते हैं
उपनियमों

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के उप-नियम

8वीं मंजिल, ब्लॉक- "I", वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC), सफदरजंग एन्क्लेव,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

वेबसाइट: www.ncel.coop

ईमेल: md@ncel.coop

उपनियम
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)
अनुक्रमणिका

अध्याय-1: प्रारंभिक, परिभाषाएँ और उद्देश्य

1. सोसायटी का नाम
2. व्यवसाय का मुख्य स्थान और पंजीकृत कार्यालय
3. संचालन क्षेत्र
4. परिभाषाएँ
5. उद्देश्य और कार्य

अध्याय-2: सदस्यता, पात्रता, अधिकार और दायित्व

6. सदस्यता
7. साधारण सदस्य
8. नाममात्र या सहयोगी सदस्य
9. सदस्यता के लिए आवेदन
10. आवेदन का निपटारा
11. मेंबरशिप के लिए शर्तों का पालन करना होगा
12. सदस्यता की समाप्ति
13. सदस्यता से वापसी या इस्तीफा
14. एक सदस्य का निष्कासन
15. साधारण सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य
16. साधारण सदस्यों के वोट और वोटिंग का तरीका
17. सदस्य की देयता

अध्याय-3: पूंजी और निधि

18. अधिकृत शेयर पूंजी
19. सदस्यता का वर्गीकरण और शेयर पूंजी के लिए सदस्यता
20. शेयर प्रमाणपत्र
21. शर्ट्स का ट्रांजियर
22. शेयर और डिविडेंड
23. फंड जुटाना
24. माज़िम बोरिंग लिमिट

अध्याय-4: संगठन और प्रबंधन

25. आम सभा
26. छोटी प्रतिनिधि संस्था के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए सोसायटी के क्षेत्र का निर्धारण
27. छोटे प्रतिनिधि निकाय के लिए बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले नियम
28. बोर्ड को छोटी प्रतिनिधि संस्था के लिए नियम बनाने होंगे।
29. बोर्ड की पहले चुनाव के लिए आम बैठक
30. जनरल बॉडी की शक्तियाँ और कार्य

31. विशेष आम सभा की बैठक
32. वार्षिक आम सभा एवं विशेष आम सभा की बैठक की सूचना
33. आम सभा की बैठक के लिए कोरम
34. आम बैठक में मतदान
35. आम सभा की बैठक के अध्यक्ष
36. संकल्प
37. आम सभा की बैठक का विवरण
38. बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
39. निदेशक मंडल
40. निदेशक मंडल का कार्यकाल
41. निदेशक मंडल की शक्तियाँ और कार्य
42. बोर्ड का सदस्य होने की अयोग्यता
- 42 A. नॉमिनेटिंग सदस्य सहकारी संस्था में दर्जा खत्म होने के कारण प्रतिनिधित्व का समाप्त होना
43. जनरल बॉडी द्वारा बोर्ड के चुने हुए सदस्यों को हटाना
44. बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के कार्यालय में रिक्ति
45. बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठकें
46. A. एंडिट और एथीस
46 B यौन उत्पीड़न समिति
47. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
48. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य
49. कुछ मामलों में अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद धारण करने का निषेध
50. सहकारी समिति में पद धारण
51. निदेशक मंडल की बैठक एवं अन्य बैठकों के कार्यवृत्त
52. मुख्य कार्यकारी
53. मुख्य कार्यकारी की शक्तियाँ और कार्य

अध्याय-5: दृढ़ संकल्प लाभ उत्पाद मूल्य के विनियोग और

54. प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय करें
55. शुद्ध लाभ का निपटान
56. फंड का निवेश
57. आरक्षित निधि
58. लाभांश

अध्याय-6: लेखापरीक्षा और लेखा

59. खाते और अभिलेख
60. अंकेक्षण
61. न्यायाधीश का आम बैठक में उपस्थित होने का अधिकार
62. ऑडिटर की नियुक्ति और उन्हें हटाने, उनकी योग्यताओं, अधिकारों और कर्तव्यों आदि से जुड़े प्रस्ताव।
63. वार्षिक खाते और बैलेंस शीट
- 63A. ऑडिटर की रिपोर्ट का पठन और निरीक्षण
64. रिटर्न दाखिल करना

अध्याय-7: विविध

- 65. आम बैठक की कार्यवृत्त पुस्तिका का निरीक्षण
- 65 A निरीक्षण के लिए नियमों और उपनियमों आदि की प्रतिलिपि
- 65 B . सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति
- 65 C. सूचना की प्रकृति
- 65 D. जानकारी के खुलासे से छूट
- 66. उपनियमों में संशोधन
- 67. विवादों का निपटारा
- 68. सेवा नियमन
- 69. साधारण मुहर
- 71. प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी
- 72. विविध

अध्याय-1: प्रारंभिक, परिभाषाएँ और उद्देश्य

1. सोसाइटी का नाम.-

सोसायटी का नाम "नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड" होगा और हिंदी संस्करण में यह इस प्रकार होगा: "राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड" (इसके बाद इसे 'सोसाइटी' कहा जाएगा)।

2. व्यवसाय का मुख्य स्थान और पंजीकृत कार्यालय.-

(1) सोसाइटी का मुख्य कारोबार स्थान और पंजीकृत कार्यालय यहां स्थित होगा:-

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC), ब्लॉक-1, 8वीं मंज़िल, सफ़दरजंग एन्क्लेव, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029.

सोसायटी का ई-मेल एड्रेस md@ncel.coop होगा।

(2) समिति के पते, जिसमें ई-मेल पता भी शामिल है, में किसी भी परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार को दी जाएगी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में भी प्रकाशित की जाएगी तथा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात इसके उप-नियमों में संशोधन करके परिवर्तन किया जाएगा।

2. कार्यक्षेत्र.-

सोसायटी का काम करने का एरिया पूरे भारत में फैला होगा।

3. परिभाषाएँ.-

(1) इन उपनियमों में प्रयुक्त शब्दों/अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए:

- (a) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 से है;
- (b) "कार्य क्षेत्र" से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां से व्यक्तियों को सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है;

(b)(a) "प्राधिकरण का गठन" से अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित सहकारी चुनाव प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (c) बोर्ड का अर्थ है सोसायटी का निदेशक मंडल या शासी निकाय जिसके पास प्रबंधन का निर्देश और नियंत्रण होता है। सोसायटी के काम सौंपे गए हैं;

- (d) "बाय-लॉज़" का मतलब है सोसाइटी के वे बाय-लॉज़ जो अभी लागू हैं और जो एक्ट के तहत सही तरीके से रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड माने गए हैं, और इसमें वे बदलाव भी शामिल हैं जो एक्ट के तहत सही तरीके से रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड माने गए हैं।
- (e) "केन्द्रीय रजिस्ट्रार" का तात्पर्य बहुराज्य सहकारी समितियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार से है;
- (f) "अध्यक्ष" तथा "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य निदेशक मंडल द्वारा आपस में चुने गए व्यक्तियों से है;
- (g) "मुख्य कार्यकारी" के अधीन नियुक्त सोसायटी के मुख्य कार्यकारी या प्रबंध निदेशक से है, चाहे उसे किसी भी पदनाम से पुकारा जाए। अधिनियम की धारा 51
- (h) "खण्ड" या "उपखण्ड" का तात्पर्य इन उपबन्धों के खण्ड या उपखण्ड से है-कानून.
- (i) 'सहकारी बैंक' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति या बहुराज्यीय सहकारी समिति से है जो बैंकिंग कारोबार करती है
- (i)(a) "सहकारी लोकपाल" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 85ए के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त लोकपाल से है;
- (j) "सहकारी या सहकारी समिति" का अर्थ है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समिति और इसमें राज्य या शीर्ष, माध्यमिक या जिला और प्राथमिक सहकारी समिति शामिल है:
- (k) "सहकारी सिद्धांत" का तात्पर्य बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सहकारी सिद्धांतों से है;
- (l) "सहकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है;
- (m) "चूककर्ता" से तात्पर्य ऐसे सदस्य से है जिसने सोसायटी को देय किसी प्रकार की देनदारियों का भुगतान करने में चूक की है;
- (n) "प्रतिनिधि" से तात्पर्य प्रत्येक वर्ग के सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय के छोटे प्रतिनिधि निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए या निर्वाचित प्रतिनिधियों से है;
- (o) सहकारी समिति का संघ : "परिसंघ" का तात्पर्य सहकारी समितियों के ऐसे संघ से है जो एनसीईएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हो और जिसकी सदस्यता केवल सहकारी समिति या बहु-राज्य सहकारी समिति को ही उपलब्ध हो।
- (o)(a) "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य उस वर्ष से है जो 31 मार्च को समाप्त होता है और जहां एनसीईएल के खाते, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से, किसी अन्य वित्तीय वर्ष पर संतुलित होते हैं।
- (p) "जनरल बॉडी" का मतलब है सोसायटी के सभी सदस्य, और इसमें सोसायटी के सदस्यों के डेलीगेट्स से बनी एक छोटी बॉडी भी शामिल है, अगर कोई हो, जो एक्ट के सेक्शन 38 के सब-सेक्शन (1) के प्रोविज़न के अनुसार बनाई गई हो:
- (q) "आम बैठक" से तात्पर्य सोसायटी के आम निकाय की बैठक से है और इसमें विशेष आम बैठक भी शामिल है:
- (r) "सदस्य" का तात्पर्य सोसायटी के पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होने वाले व्यक्तियों से है और इसमें अधिनियम, नियमों तथा सोसायटी के उपनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पंजीकरण के पश्चात सदस्यता में स्वीकार किया गया व्यक्ति शामिल है और इसमें नाममात्र या सहयोगी सदस्य भी शामिल है;
- (s) "सदस्य सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति या बहुराज्य सहकारी समिति से है जो समिति की सदस्य है:
- (t) "बहु-राज्य सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 या ऐसी सहकारी समितियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत है या पंजीकृत मानी जाती है;

- (u) "राष्ट्रीय सहकारी समिति से तात्पर्य बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट बहु-राज्य सहकारी समिति से है;"
- (v) "नाममात्र सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे सोसायटी के उपनियमों के अन्तर्गत नाममात्र सदस्य या सह-सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया हो;
- (w) "ऑफिसर" या "ऑफिस बेयरर" का मतलब है प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर। सेक्रेटरी, मैनेजर, बोर्ड के मेंबर, ट्रेजरर, लिक्विडेटर, एक्ट के सेक्शन 123 के तहत अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर और इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति शामिल है जिसे एक्ट या नियमों या बाय-लॉज के तहत सोसायटी के बिजनेस के बारे में डायरेक्शन देने का अधिकार दिया गया है;
- (x) "निर्धारित" का तात्पर्य बहु-राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 द्वारा निर्धारित है;
- (y) "रेगुलेशन" का मतलब है सोसाइटी द्वारा अपनाए गए अलग-अलग मामलों पर सोसाइटी के रेगुलेशन और इसमें बाद में किए गए सभी अमेंडमेंट भी शामिल हैं,
- (z) 'नियम' का तात्पर्य बहुराज्य सहकारी समिति नियम, 2002 से है, जैसा कि सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है और 'सोसाइटी' का तात्पर्य राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड से है।
- (aa) "सोसाइटी" का अर्थ है "राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड" और हिंदी संस्करण में "राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड" (इसके बाद इसे "सोसायटी" के रूप में जाना जाएगा)

(2) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा एमएससीएस अधिनियम, 2002 और एमएससीएस नियम, 2002 के तहत उन्हें सौंपे गए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

5. उद्देश्य एवं कार्य.-

- (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सभी सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना होगा, अपने कार्यों को पेशेवर, लोकतांत्रिक और स्वायत्त तरीके से संचालित करके; खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणीकरण, अनुसंधान और विकास आदि सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना और बढ़ावा देना, जिसमें कृषि-उपज, बागवानी, डेयरी उत्पाद, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पाद, पारंपरिक दवाएं, मसाले, लघु वनोपज, फलों के गूदे, जूस, चीनी आदि सहित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं, जो सहकारी समितियों और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित हैं; वित्त, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने में मदद करना; तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना; बाजार आसूचना प्रणाली विकसित करना और बनाए रखना; संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करना और ऐसी कोई भी ऐसी
- (2) उप-खण्ड (1) में निहित उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति निम्नलिखित में से कोई एक या सभी क्रियाकलाप कर सकती है, परंतु इन तक सीमित नहीं है, अर्थात्:-
 - i) सहकारी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
 - ii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय आदि जैसे सभी क्षेत्रीय मंत्रालयों की सहायता से, उनकी नीतियों, योजनाओं तथा एजेंसियों के माध्यम से 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के अनुसरण में सहकारी समितियों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जी2जी (सरकार से सरकार) व्यापार सहित निर्यात व्यापार घराने के रूप में काम करने के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करना; और विभिन्न मंचों पर सहकारी निर्यात समुदाय का प्रतिनिधित्व करना;

- iii) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के विशेष सहयोग से बाजारों की पहचान करना, व्यापार बाधाओं को दूर करना, व्यापार मेले/प्रदर्शनीयां/खरीदार-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विदेशों में बाजार की खुफिया जानकारी एकत्र करना, व्यापार समझौतों और जी2जी लेनदेन के माध्यम से बाजार तक पहुंच प्राप्त करना: सहकारी समितियों के केंद्रीय विभाग के कर्मचारी
- iv) स्वयं अथवा अन्य भारतीय या विदेशी संगठनों अथवा उद्यमों अथवा निर्यात एजेंसियों के सहयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, प्रसंस्करण, व्यापार और विपणन करना
- v) सहकारी समितियों अथवा सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में नामांकित किसानों अथवा उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्रमाणीकरण, मानकीकरण इत्यादि का कार्य करना ताकि गुणवत्तापूर्ण निर्यात ग्रेड वाले तैयार उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा सके
- vi) स्वयं अथवा किसी अन्य सहकारी संस्था या एजेंसी के सहयोग से संग्रहण केन्द्र, प्रसंस्करण इकाइयाँ, निर्यात ग्रेड एकीकृत पैक हाउस तथा माल के भण्डारण के लिए भण्डारण इकाइयाँ स्थापित करना;
- vii) भंडारण अधिनियम के तहत एक भंडारण एजेंसी के रूप में कार्य करना और उपज और माल के भंडारण के लिए गोदामों, कोल्ड स्टोर, तापमान नियंत्रित गोदाम आदि का स्वामित्व लेना, निर्माण करना और किराए पर लेना.
- viii) अनुसंधान और विकास तथा ऐसे अन्य कार्यक्रमलाप करना, जो सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रासंगिक तथा अनुकूल हों;
- ix) कृषि, बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, वन उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य एवं खाद्य पदार्थ, चीनी, कपड़ा, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, मसाले, चमड़ा, खाद एवं उर्वरक, नैनो-उर्वरक, जैव उत्तेजक, जैविक उर्वरक, ब्लो-कीटनाशक, नीम व्युत्पन्न, मछली पालन, रेशम उत्पादन, कीटनाशक, कीटनाशक, कवकनाशक, किसी भी प्रकार के पौध संरक्षण रसायन, हर्बल उत्पाद, परंपरागत दवाइयां जैविक उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी, पशु चारा, जलीय खेती, कृषि मशीनरी, अन्य वस्तुएँ और सेवाएँ इत्यादि का गुणात्मक उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी स्तर की सहकारी समितियों पर काम करना और ऐसी वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से देश की विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देना;
- x) कच्चे माल, सहायक उत्पाद, पैकिंग सामग्री, तैयार उत्पाद, उपोत्पाद और अन्य अपशिष्ट उत्पादों की खरीद, उत्पादन, विनिर्माण और विपणन के लिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के साथ अनुबंध करना और सहयोग करना और अन्य सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी अन्य एजेंसी के साथ संयुक्त विपणन और उत्पाद विनिमय समझौते करना;
- xi) भूमि, समुद्र तथा वायु द्वारा माल की आवाजाही के लिए भारत अथवा विदेश में स्वयं अथवा किसी अन्य संगठन के सहयोग से संभारतंत्र सुविधाएं बनाए रखना;
- xii) भारत एवं विदेशों में शाखा तथा/अथवा क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयाँ तथा बिक्री डिपो इत्यादि स्थापित करना;

- xiii) वाणिज्यिक रूप से उपयोगी जानकारी प्रदान करना तथा सहकारी समितियों को उनके उत्पादन और निर्यात को विकसित करने तथा बढ़ाने में सहायता करना;
- xiv) सहकारी समितियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन सुधार, मानक एवं विनिर्देश, उत्पाद विकास, नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में पेशेवर सलाह देना;
- xv) विदेशी बाज़ार अवसरों का पता लगाने के लिए शिष्टमंडलों की विदेश यात्राओं का आयोजन करना;
- xvi) केन्द्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर सहकारी निर्यात समुदाय तथा सरकार के बीच बातचीत को बढ़ावा देना;
- xvii) सहकारी समितियों के निर्यात पर सांख्यिकीय आधार तैयार करना और आंकड़े उपलब्ध कराना;
- xviii) सहकारी समितियों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए वैश्विक निर्यात बाज़ार से जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इंटरफेस और बाज़ार आसूचना सहित एक मंच प्रदान करना;']
- xix) सहकारी समितियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए स्टार्ट-अप या स्टार्ट-अप जैसे तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना,
- xx) निर्यात हेतु सहकारी समितियों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग इत्यादि के संबंध में उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना,
- xxi) तृतीय पक्ष प्रमाणन तथा गुणवत्ता अनुपालन, प्रमाणन, मानकों तथा विनिर्देशों इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं स्थापित करना;
- xxii) सहकारी समितियों के निर्यात को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना,
- xxiii) सहकारी समितियों को उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यात बाज़ार खोजने में मदद और सुविधा प्रदान करना;
- xxiv) निर्यात पर विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना;
- xxv) सहकारी समितियों के लिए निर्यात जागरूकता और क्षमता विकास गतिविधियों के संचालन के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव कदम उठाना;
- xxvi) सदस्य सहकारी समितियों की ओर से कारोबार तथा प्रचार संबंधी सेवाएं लेना, यदि सामान्य निकाय या बोर्ड के संकल्प द्वारा या सदस्य सहकारी समिति के उपनियमों द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित हो;
- xxvii) सहकारी समितियों द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए भारत में तथा विदेशों में साझेदारियां स्थापित करना;

- xxviii) बाज़ार की जानकारी, लोगो, ब्रांडिंग, ब्रांड प्रमोशन, आदि सहित बाज़ार सूचना प्रणालियों को विकसित और बनाए रखना;
 - xxix) विभिन्न सरकारी योजनाओं और निर्यात से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता प्रदान करना: निर्यात एंटे
 - xxx) सदस्य सहकारी समितियों के लाभ के लिए सरकारी योजनाओं या सरकार द्वारा प्रायोजित सहायता प्रणालियों को सुविधाजनक बनाना और उन तक पहुँच प्रदान करना;
 - xxxi) सह-परंपरा पर नीति वकालत, सलाहकार कार्य और सेवाएं प्रदान करना को-ऑपरेटिव
 - xxxii) सदस्य सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना;
 - xxxiii) सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा वित्त की व्यवस्था करने में मदद करना;
 - xxxiv) दूसरी को-ऑपरेटिव्स के शेयर खरीदना, नई को-ऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना और को-ऑपरेटिव्स में निवेश करना; और
 - xxxv) वर्णित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी अन्य गतिविधि करना या ऐसे कार्य करना जो उसके लिए अनुकूल या प्रासंगिक हों और जिन्हें बोर्ड समय-समय पर करने या करने का निर्णय ले।
- (3) सोसाइटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन, को-ऑपरेटिव और लोगों वगैरह से, ऐसी शर्तों पर जो सही लगे, सब्सक्रिप्शन ले सकती है और किसी भी तरह का पैसा, सिक्योरिटीज़, एंडोमेंट और प्रॉपर्टी का ग्रांट ले सकती है।
 - (4) समिति चल या अचल सम्पत्ति का जो भी भाग या समस्त भाग उसके उद्देश्य के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, उसका अधिग्रहण, खरीद, बिक्री, विनिमय, पट्टा, अनुज्ञापन, त्याग, किराये पर या अन्यथा हस्तांतरण कर सकती है तथा समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैसा भी आवश्यक हो ऐसे भवनों, कार्यों और निर्माणों का निर्माण, निर्माण, सुधार, परिवर्तन, विध्वंस और मरम्मत कर सकती है।
 - (5) समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चेक, नोट या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित, बना, स्वीकार, समर्थन और भुना सकती है।
 - (6) समिति उपनियमों तथा सेवा विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन कर सकेगी तथा उन पर नियुक्तियां कर सकेगी।
 - (7) समिति सदस्यता के विभिन्न वर्गों के लिए व्यवस्था कर सकेगी और ऐसे विभिन्न सदस्यों के दायित्व, अधिकार और विशेषाधिकार निर्दिष्ट कर सकेगी;
 - (8) सोसायटी अपने कार्यों के संचालन के लिए सेवा मामलों सहित विभिन्न मामलों पर उपनियम और विनियम बना सकेगी तथा समय-समय पर उनमें परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा निरसन कर सकेगी।

अध्याय-2: सदस्यता, पात्रता, अधिकार और दायित्व

6. सदस्यता.-

सोसायटी में नीचे दिए गए तरह के मेंबरशिप होंगे:

- (i) साधारण सदस्य; और
- (ii) नाममात्र अथवा सहयोगी सदस्य।

7. साधारण सदस्य.-

- (1) निम्नलिखित के अलावा किसी भी व्यक्ति को सोसायटी का सदस्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात्-
 - a) कोई बहुराज्य सहकारी समिति या कोई सहकारी समिति जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या पंजीकृत मानी जाती हो;
 - b) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी);
 - c) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या वर्ग या व्यक्तियों का संगठन, जिसकी अनुमति सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी के स्वरूप और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए दी जाए:

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक बोर्ड को जांच या किसी और तरह से यह संतुष्टि न हो जाए कि सदस्यता के लिए आवेदक एक्सपोर्ट गतिविधियों में रुचि रखता है या सोसायटी के उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए फायदेमंद है:

आगे यह भी प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 25 (1) (जी) के तहत विनिर्दिष्ट कंपनी के अलावा कोई भी व्यक्ति या कंपनी सोसायटी का साधारण सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगी।

- (2) सदस्यता का कोई भी अधिकार तब तक प्रयोग योग्य नहीं होगा जब तक कि किसी व्यक्ति ने सदस्यता के संबंध में सोसायटी को ऐसे भुगतान नहीं कर दिए हों या सोसायटी में ऐसा हित अर्जित नहीं कर लिया हो,

जैसा कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी द्वारा अपने उप-नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक सदस्य को 500 रुपये अथवा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट राशि का प्रवेश शुल्क देना होगा।

8. नाममात्र या सहयोगी सदस्य.-

सोसायटी अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों समेत किसी भी व्यक्ति को नाममात्र का सदस्य या सहयोगी सदस्य बना सकती है। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) के गैर-वापसी योग्य शुल्क के भुगतान पर।

9. सदस्यता के लिए आवेदन.-

सोसायटी की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन, आवेदक को सोसायटी के चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर को, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, बताए गए फॉर्म में, अगर कोई हो, शेयर की पूरी कीमत और एडमिशन फीस के साथ जमा करना होगा।

10. आवेदन का निपटान.-

सोसायटी की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन, जो हर तरह से पूरी पाई जाती है, उसे सोसायटी को मिलने की तारीख से चार महीने के अंदर बोर्ड निपटा देगा और बोर्ड का फैसला, फैसले की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर एप्लीकेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बता दिया जाएगा।

11. सदस्यता के लिए पालन की जाने वाली शर्तें.-

(1) कोई भी व्यक्ति सोसायटी का सदस्य बनने या बने रहने के लिए योग्य नहीं होगा अगर:-

a) मर्नबर का बिज़नेस को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए सही नहीं है:

एक्सप्लेनेशन: इस क्लॉज़ के मकसद के लिए, जो मेंबर पहले से एक्सपोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, वे अपनी मर्ज़ी से उन्हें जारी रख सकते हैं और ऐसी एक्टिविटी को सोसाइटी के बिज़नेस के लिए नुकसानदायक नहीं माना जाएगा।

b) व्यक्ति ने सदस्यता के लिए सोसायटी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, यदि कोई हो, या केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में, यदि कोई हो, लिखित रूप में आवेदन नहीं किया है;

c) व्यक्ति ने अधिनियम या नियमों या इन उपनियमों में निर्धारित सदस्यता की अन्य सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है;

d) सदस्य अधिनियम या नियमों या इन उप-नियमों के अंतर्गत सोसायटी का सदस्य होने के लिए निर्धारित कोई अयोग्यता उत्पन्न करता है;

- e) मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन को सोसायटी के बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली है, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार
- f) वह व्यक्ति, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाले मेंबर्स के अलावा, जिसने बाय-लॉज़ में बताए गए और/या बोर्ड द्वारा तय किए गए एडमिशन फीस के साथ मिनिमम शेयर्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उसकी पूरी वैल्यू नहीं दी है
- g) किसी बहु-राज्य सहकारी समिति या सहकारी समिति या राष्ट्रीय सहकारी समिति या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, सदस्यता के लिए आवेदन के साथ ऐसी सहकारी समिति के बोर्ड का प्रस्ताव या ऐसे संगठन के सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकरण पत्र, जैसा भी मामला हो, संलग्न नहीं है, जो उसे ऐसी सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत करता हो:
- h) सदस्य ने सोसायटी की लगातार पिछली तीन आम सभा बैठकों में भाग नहीं लिया है और सोसायटी की आम सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा ऐसी अनुपस्थिति को क्षमा नहीं किया गया है;
- i) सदस्य ने सोसायटी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा का लगातार दो वर्षों तक उपयोग नहीं किया है;
- j) सदस्य सोसायटी के हितों और उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देता और उनकी रक्षा नहीं करता; और
- k) सदस्य ने शेयर योगदान, फीस, सब्सक्रिप्शन, अगर कोई हो, से जुड़ी किसी भी रकम के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है, जैसा कि बोर्ड ने समय-समय पर बायलॉज़ के तहत सोसायटी को पेमेंट करने का तय किया है और डिफॉल्ट क्लियरेंस के लिए 30 दिन के नोटिस के बाद भी रकम क्लियर नहीं की है।

(2) सोसायटी अपनी आम सभा की बैठक की तिथि से तीस दिन पहले तक सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी।

12. सदस्यता की समाप्ति.-

सोसायटी की मेंबरशिप इन मामलों में खत्म हो सकती है-

- i) सदस्य का सदस्यता से हटना या त्यागपत्र देना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित;
- ii) सदस्य सहकारी समिति का पंजीकरण रद्द करना;
- iii) सभी शेयरों का सोसायटी के किसी दूसरे सदस्य को ट्रांसफर।
- iv) आम सभा द्वारा सदस्य का निष्कासन
- v) धारा 29 के अंतर्गत सदस्यता की कोई भी अयोग्यता होने पर अधिनियम के:

बशर्ते कि इस खंड के उप-खंड (i), (ii) तथा (iii) के मामले को छोड़कर, सदस्यता की समाप्ति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक संबंधित सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो तथा मामले में अभ्यावेदन न कर दिया गया हो।

13. सदस्यता से हटना या इस्तीफ़ा देना

- (1) कोई सदस्य, सदस्य के तौर पर शामिल होने की तारीख से पांच साल बाद, बोर्ड को कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देकर सोसाइटी की सदस्यता से हट सकता है या इस्तीफा दे सकता है और बोर्ड की मंजूरी से अपनी शेयर पूंजी वापस ले सकता है।

- (2) बोर्ड को कम से कम 3 महीने पहले लिखकर नोटिस देना होगा और बोर्ड की मंजूरी से अपनी शेयर कैपिटल वापस लेनी होगी। अनुमोदन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसा सदस्य (2) सोसायटी का ऋणी है।
- (3) जो सदस्य सदस्यता से अपना नाम वापस ले लेता है अथवा त्यागपत्र दे देता है, उसे त्यागपत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक पुनः सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि सदस्य सोसायटी से निकाली गयी राशि को वापस नहीं कर देता।

14. किसी सदस्य का निष्कासन.-

- (1) सोसाइटी, इस मकसद के लिए हुई जनरल मीटिंग में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पास किए गए प्रस्ताव से, किसी सदस्य को ऐसे कामों के लिए निकाल सकती है, जो सोसाइटी के हित और सही कामकाज के लिए नुकसानदायक हों; या बायलॉज के अनुसार बकाया पेमेंट में लगातार एक साल तक डिफॉल्ट करने के लिए।
- (2) निकाले जाने पर, वह व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा। ऐसे निकाले जाने में सोसाइटी की मर्जी से शेयर ज़ब्त किए जा सकते हैं, लेकिन संबंधित सदस्य को तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक उसे इस मामले में अपनी बात रखने का सही मौका न दिया गया हो। जनरल बॉडी द्वारा निकाले जाने तक, बोर्ड सदस्य को अगली जनरल बॉडी मीटिंग तक सस्पेंड कर सकता है।
- (3) सोसायटी का कोई भी सदस्य जिसे निष्कासित कर दिया गया हो, ऐसे निष्कासन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक सोसायटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

15. आम सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य.-

- (1) साधारण सदस्यों के अधिकार: प्रत्येक साधारण सदस्य सोसायटी में सदस्य के रूप में प्रवेश की तिथि से सदस्य के रूप में अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा और उसके पास निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात:-
 - i) आम निकाय की बैठक में मतदान का अधिकार;
 - ii) उपनियम के अनुसार आम निकाय की बैठक की सूचना प्राप्त करने का अधिकारकानून;
 - iii) आम निकाय की बैठक में उपस्थित रहने तथा उसकी कार्यवाही में सक्रिय भाग लेने का अधिकार; सहकारिता रजिस्ट्रार
 - iv) सोसायटी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने के लिए एक्ट, नियमों और बाय-लॉज के प्रोविज़न के अनुसार चुनाव में हिस्सा लेने और किसी भी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार; और
 - v) मेंबर रजिस्टर, अकाउंट बुक या किसी दूसरे रिकॉर्ड की जांच करना और बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई फीस देकर प्रस्तावों या डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी लेना।

शर्त यह है कि सोसायटी अपने एक ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर डेजिग्रेट करेगी, ताकि ऐसे मेंबर को अपने बिज़नेस के रेगुलर ट्रांज़ैक्शन में रखी गई बुक्स, इन्फॉर्मेशन और अकाउंट्स तक एक्सेस मिल सके।

(2) साधारण सदस्यों के कर्तव्य:

- i) प्रत्येक सदस्य का प्रयास होगा कि वह उपनियमों के उपबंधों तथा सोसायटी की आम सभा तथा बोर्ड द्वारा ऐसे उपनियमों के अनुसार लिए गए निर्णयों का पालन करे।

- ii) प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह आवश्यक संख्या में शेयर खरीदे, शेयरों के लिए भुगतान करे तथा ऐसे अन्य भुगतान उपनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर करे।
- iii) हर सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह रेगुलर मीटिंग और मेंबर एजुकेशन प्रोग्राम में रेगुलर रूप से शामिल हो।
- iv) सोसायटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को बढ़ावा देना हर मेंबर की ड्यूटी होगी।
- v) एक्सपोर्ट का काम करने वाले सदस्य अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर सोसायटी के ज़रिए, ताकि G2G ट्रेड और बड़े पैमाने पर बिज़नेस का फ़ायदा मिल सके।

16. साधारण सदस्यों के मत तथा मतदान का तरीका।-

- (1) सोसायटी के प्रत्येक साधारण सदस्य को सोसायटी के कामकाज में एक वोट का अधिकार होगा।
- (2) मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा।
- (3) सोसायटी का प्रत्येक साधारण सदस्य व्यक्तिगत रूप से मतदान करेगा और किसी भी सदस्य को प्रॉक्सी द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि कोई मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई अन्य संस्था जो इस सोसाइटी की सदस्य है, अपनी मैनेजिंग कमिटी द्वारा पारित प्रस्ताव के ज़रिए अपने किसी प्रतिनिधि को सोसाइटी के कामकाज में अपनी ओर से वोट देने के लिए नियुक्त कर सकती है।

7. सदस्य का दायित्व.-

- (1) सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लगाई गई शेयर पूंजी तक सीमित होगा।
- (2) उप-खण्ड (3) के प्रावधान के अधीन रहते हुए सोसायटी के किसी पूर्व सदस्य की सोसायटी के ऋणों के लिए देयता, जैसी वह उस तिथि को विद्यमान थी, जिसको वह सदस्य नहीं रहा, ऐसी तिथि से दो वर्ष की अवधि तक जारी रहेगी।
- (3) जहाँ सोसायटी को एक्ट के सेक्शन 86 के तहत बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है, वहाँ बंद करने के ऑर्डर की तारीख से ठीक पहले मेंबर नहीं रहे पुराने मेंबर की लायबिलिटी तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी लिक्विडेशन प्रोसिडिंग्स पूरी नहीं हो जातीं। लेकिन ऐसी लायबिलिटी सिर्फ़ सोसायटी के उन कर्ज़ों तक ही बढ़ेगी जो मेंबरशिप खत्म होने की तारीख को थे।

अध्याय-3: पूंजी और निधि

18. अधिकृत शेयर पूंजी.-

- (1) सोसायटी की अधिकृत शेयर पूंजी दो हजार करोड़ रुपये होगी जो ₹10,000/- (दस हजार) प्रति शेयर के बीस लाख शेयरों में विभाजित होगी
- (2) सोसायटी अपनी आम बैठक में, समय-समय पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से, उचित समझे जाने वाले संख्या व राशि के नये शेयरों का सृजन करके अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि कर सकेगी।

19. सदस्यता का वर्गीकरण तथा शेयर पूंजी में अभिदान।-

- (1) प्रत्येक सदस्य सोसायटी की शेयर पूंजी में योगदान देगा और सदस्यता के लिए आवेदन करते समय उसका पूरा मूल्य चुकाया जाएगा:

बशर्ते कि आम सदस्य, सदस्यता के इस तरह के वर्गीकरण के अनुसार शेयर कैपिटल में हिस्सा लेंगे:-

- i) **क्लास-1:** को-ऑपरेटिव संगठन जैसे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED), गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF); और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) या कोई भी दूसरी एंटीटी जो क्लास-1 मेंबर बनना चाहती है, उनमें से हर एक को ₹10,000/- फेस वैल्यू के कम से कम 1,00,000 शेयर खरीदने होंगे;
 - ii) **क्लास -2:** उप-खण्ड (1) में उल्लिखित के अलावा कोई राज्य स्तरीय या शीर्ष सहकारी समिति प्रत्येक ₹10,000/- के अंकित मूल्य के कम से कम 1,000 शेयर खरीदेगी;
 - iii) **क्लास -3:** उप-खण्ड (i) में उल्लिखित के अलावा एक राष्ट्रीय सहकारी समिति और एक बहु-राज्य सहकारी समिति, जिसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में नामित नहीं किया गया है, प्रत्येक ₹10,000/- के अंकित मूल्य के कम से कम 500 शेयर खरीदेगी; सहकारिता रजिस्ट्रार
 - iv) **क्लास -4:** राज्य या प्राथमिक सहकारी समिति से भिन्न कोई सहकारी समिति, कंपनी के कम से कम 10 शेयर ₹10,000/- प्रति शेयर के मूल्य के खरीदेगी;
 - v) **क्लास-5:** एक प्राइमरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी ₹10,000/- की फेस वैल्यू का एक शेयर खरीदेगी; और
 - vi) **क्लास -6:** व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या वर्ग या व्यक्तियों का संघ, जिन्हें खंड 7(1)(सी) के अधीन सदस्य बनने की अनुमति दी गई है, प्रत्येक ₹10,000/- के अंकित मूल्य के कम से कम 2 शेयर खरीदेंगे।
- (2) सब्सक्राइब किए गए शेयरों की पूरी रकम मिलने पर शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। शेयरों की कीमत एक बार में पूरी चुकाई जाएगी और शेयर सर्टिफिकेट

- (3) उप-खण्ड (1) या उप-खण्ड (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सोसायटी के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए, सोसायटी के पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए शामिल होने वाले सदस्य दस-दस हजार रुपये के अंकित मूल्य के दस शेयर और शेष राशि ऐसी किश्तों में और ऐसी समय अवधि के भीतर सब्सक्राइब करेंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।
- (4) शेयरों के आवंटन, हस्तांतरण, मोचन और/या प्रत्यावर्तन का तरीका अंकित मूल्य पर और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।

20. शेयर प्रमाणपत्र.-

- (1) सोसाइटी का मेंबर बनने वाला हर व्यक्ति मुफ्त में एक शेयर सर्टिफिकेट पाने का हकदार होगा, जिसमें शेयर/शेयरों की संख्या और उनके खास नंबर/नंबर लिखे होंगे। इस पर चेयरपर्सन, या सोसाइटी के किसी भी अधिकृत डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, के साइन होंगे। शेयर सर्टिफिकेट पर सोसाइटी की सील लगी होगी। सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक और/या फिजिकल फॉर्म में रखेगी और मेंबर्स को इसकी जानकारी फिजिकल/इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाएगी।
- (2) अगर कोई सर्टिफिकेट घिस गया है, खराब हो गया है, टूट-फूट गया है, नष्ट हो गया है या खो गया है, तो उसकी जगह बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रति शेयर तय फीस देकर नया शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हालांकि, बोर्ड को यह साबित करने के लिए सबूत देना ज़रूरी होगा कि शेयर सर्टिफिकेट घिस गए हैं, खराब हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं या खो गए हैं, या ऐसे सबूत के न होने पर, बोर्ड जैसी क्षतिपूर्ति और बोर्ड को जो शर्तें ठीक लगे, उन पर मुआवजा दिया जाएगा।

21. शेयरों का ट्रांसफर

कोई सदस्य अपने शेयर या शेयरों को कम से कम एक साल तक अपने पास रखने के बाद, बोर्ड द्वारा विधिवत मंजूर किए गए किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि ट्रांसफरी (जिसे शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं) का नाम सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत दर्ज न हो जाए और सदस्य द्वारा प्रति शेयर एक सौ रुपये की ट्रांसफर फीस का भुगतान न कर दिया जाए।

बशर्ते कि मेंबर सोसाइटी के किसी नॉन-मेंबर सोसाइटी के साथ मिलने या मेंबर सोसाइटी द्वारा किसी नॉन-मेंबर सोसाइटी को शेयर ट्रांसफर करने की स्थिति में, NCEL की नॉन-मेंबर सोसाइटी या ऐसे मिलने पर बनी नई एंटीटी की मेंबरशिप ऑटोमैटिक नहीं होगी और यह बोर्ड द्वारा मंजूर एडमिशन की तारीख से लागू होगी, न कि मिलने या शेयर ट्रांसफर की तारीख से, जैसा भी मामला हो।

यह भी कहा गया है कि ऐसी नॉन-मेंबर सोसाइटी या ऐसे अमेलगमेशन से बनी नई एंटीटी, मेंबर के तौर पर एडमिशन के लिए प्रोसेस को फॉलो करेगी और बताए गए फॉर्मेट में मेंबरशिप के लिए बोर्ड में अप्लाई करेगी।

22. शेयरों और लाभांश पर ग्रहणाधिकार.-

सोसायटी का किसी भी सदस्य या पिछले सदस्य के सभी शेयर और डिविडेंड पर पहला और सबसे बड़ा लियन या चार्ज होगा, जो समय-समय पर सोसायटी को दिए जाने वाले सभी ड्यूज़ के लिए होगा। सोसायटी सदस्य या पिछले सदस्य द्वारा जमा की गई या उन्हें देने वाली किसी भी रकम को ऐसे सदस्य या पिछले सदस्य की किसी भी लायबिलिटी के पेमेंट के बदले सेट ऑफ कर सकती है।

23. धन उगाहना

(1) सोसायटी के कोष निम्नलिखित तरीके से जुटाए जाएंगे:

- i) शेयर पूंजी;
- ii) प्रवेश एवं अन्य शुल्क;
- iii) उचित प्रक्रिया का पालन करके भारत या विदेश में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण, नकद ऋण, वाणिज्यिक पत्र, ओवरड्राफ्ट;
- iv) केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से अनुदान एवं सब्सिडी;
- v) भारत के भीतर सदस्यों तथा किसी अन्य संगठन से प्राप्त दान या अंशदान;
- vi) कानूनी प्रक्रिया का पालन करके इंटरनेशनल एजेंसियों से ग्रांट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन वगैरह; और
- vii) लाभ.

(2) सोसाइटी के फंड का इस्तेमाल उसके उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

24. अधिकतम उधार सीमा.-

- (1) समिति अपने सदस्यों तथा बाह्य स्रोतों से ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन ऋण ले सकेगी, जैसा कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।
- (2) उप-खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारस्परिक रूप से तय शर्तों और नियमों पर निधियाँ स्वीकार कर सकती है या उधार ले सकती है।
- (3) समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधन जुटाने हेतु अपनी चुकता शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक गैर-परिवर्तनीय ऋण पत्र या अन्य उपकरण जारी कर सकती है, जो कि उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अधीन है।

अध्याय-4: संगठन और प्रबंधन

25. आम सभा

- (1) सोसाइटी की आम सभा में सोसाइटी के सभी साधारण सदस्य शामिल होंगे और प्रत्येक साधारण सदस्य का प्रतिनिधित्व आम सभा में ऐसे सदस्य द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।
- (2) अधिनियम, नियमों तथा उपनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सोसायटी का अंतिम अधिकार आम सभा में निहित होगा:

बशर्ते कि इस उप-खंड में समाहित कोई बात बोर्ड या सोसायटी के किसी अधिकारी द्वारा अधिनियम या नियमों या उप-नियमों द्वारा बोर्ड या ऐसे अधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग पर प्रभाव नहीं डालेगी:

यह भी कहा गया है कि जब सोसायटी के मेंबर एक हजार से ज्यादा हो जाएंगे, तो वह एक छोटी बॉडी बनाएगी जिसमें मेंबर या क्लास या कैटेगरी के डेलीगेट होंगे, जिन्हें बाय-लॉज के हिसाब से चुना या चुना जाएगा; और सभी मेंबर को खुद बुलाने के बजाय ऐसे डेलीगेट को बुलाकर अपनी जनरल मीटिंग करेगी।

26. छोटे प्रतिनिधि निकाय का गठन.-

- (1) प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली आम सभा के छोटे प्रतिनिधि निकाय का गठन निम्नानुसार होगा:-

- i) **क्लास -1** श्रेणी के सदस्यों के लिए पांच प्रतिनिधि चुने जाएंगे;
- ii) **क्लास -2** श्रेणी के सदस्यों के लिए प्रत्येक 3 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा;
- iii) **क्लास-3** कैटेगरी के मेंबर्स के लिए, हर 5 मेंबर्स पर एक डेलीगेट चुना जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 25 डेलीगेट्स हो सकते हैं;
- iv) **क्लास-4** कैटेगरी के मेंबर्स के लिए, हर 100 मेंबर्स पर एक डेलीगेट चुना जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 30 डेलीगेट्स हो सकते हैं;
- v) **क्लास-5** कैटेगरी के मेंबर्स के लिए, हर 250 मेंबर्स पर एक डेलीगेट चुना जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 50 डेलीगेट्स हो सकते हैं; और
- vi) **क्लास-6** कैटेगरी के मेंबर्स के लिए, हर 500 मेंबर्स पर एक डेलीगेट इस तरह चुना जाएगा कि पहला डेलीगेट 1-500 मेंबर्स के लिए चुना जाएगा, दूसरा डेलीगेट 501-1000 मेंबर्स के लिए चुना जाएगा, और इसी तरह आगे भी:

बशर्ते कि किसी भी मेंबरशिप कैटेगरी में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर भी, ऊपर तय किए गए डेलीगेट्स की अधिकतम संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। हालाँकि, एक डेलीगेट को चुनने के लिए ज़रूरी सदस्यों की संख्या को अनुपात के हिसाब से बदला जा सकता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि डेलीगेट्स की कुल संख्या तय की गई अधिकतम सीमा से ज्यादा न हो।

- (2) प्रतिनिधियों से मिलकर बनी छोटी प्रतिनिधि संस्था सोसायटी की आम सभा की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, जैसा कि विहित किया जा सकता है अथवा खंड 30 में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित या चयनित होने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह सदस्य संगठन/सहकारी समिति का अध्यक्ष/राष्ट्रपति या मुख्य कार्यकारी अथवा ऐसे संगठन के बोर्ड का सदस्य नहीं है, यदि ऐसे सदस्य को मनोनीत संगठन के बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

- (4) जहां किसी सदस्य संगठन/सहकारी समिति में कोई बोर्ड अस्तित्व में नहीं है, वहां ऐसी समिति का प्रतिनिधित्व उसके प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो।
- (5) प्रतिनिधि तब तक सोसायटी की आम सभा के सदस्य बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित या चयनित नहीं हो जाते:

बशर्ते कि डेलीगेट्स का चुनाव या चयन, जैसा भी मामला हो, बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले किया जाएगा:

यह भी कहा गया है कि मेंबरशिप के किसी खास क्लास या कैटेगरी के सदस्य, दो-तिहाई बहुमत से, अपने खास क्लास या कैटेगरी के किसी डेलीगेट को हटा सकते हैं और क्लॉज़ 28 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसे जाने वाले डेलीगेट के बाकी समय के लिए उसकी जगह किसी दूसरे को चुन सकते हैं।

- (6) आम निकाय में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया, अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए चुनाव विनियमों के अनुसार होगी।
- (7) सदस्य संगठन/सहकारी समिति का कोई प्रतिनिधि सोसायटी का प्रतिनिधि नहीं रह जायेगा, यदि वह:-
- a) संबंधित सदस्य संगठन/को-ऑपरेटिव का मुख्य सदस्य नहीं रहता है या किसी और तरह से उससे जुड़ा नहीं रहता है, या
 - b) सोसायटी के डेलीगेट के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे देता है।

किसी भी क्लास या मेंबरशिप में डेलीगेट के ऑफिस में होने वाली कैजुअल वैकेंसी को, डेलीगेट के ऑफिस के बाकी समय के लिए मेंबरशिप के संबंधित क्लास या कैटेगरी द्वारा इलेक्शन या सिलेक्शन से भरा जाएगा।

- (8) सदस्यता के किसी भी वर्ग या श्रेणी में प्रतिनिधि के पद पर होने वाली आकस्मिक रिक्ति को, प्रतिनिधि के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए संबंधित वर्ग या श्रेणी के सदस्यों द्वारा चुनाव या चयन के माध्यम से भरा जाएगा।
- (9) डिफॉल्टर मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने या किसी भी ऑफिस के लिए चुनाव लड़ने के हकदार नहीं होंगे। डिफॉल्टर मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव, अगर सोसाइटी के किसी भी ऑफिस में हैं, तो वे उस तारीख से उस ऑफिस में रहने का अपना अधिकार खो देंगे, जिस तारीख को मेंबर इन बाय-लॉज़ के तहत डिफॉल्टर बन जाता है, बशर्ते कि डिफॉल्ट करने वाले मेंबर को सही नोटिस दिया गया हो और वह नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर अपनी बकाया रकम का पेमेंट न कर पाए।

27. छोटे प्रतिनिधि निकाय के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए सोसायटी के क्षेत्र का विभाजन।-

- (1) बोर्ड छोटे प्रतिनिधि निकाय के प्रतिनिधियों के चुनाव के प्रयोजन के लिए सोसायटी के कार्य क्षेत्र को सदस्यता के वर्ग या श्रेणी के अनुसार विभाजित करेगा।
- (2) सोसाइटी के संचालन या सदस्यता के क्षेत्र का विभाजन सभी सदस्यों को विधिवत रूप से अधिसूचित किया जाएगा, और सदस्यता के किसी विशेष वर्ग या श्रेणी का सदस्य केवल उसी विशेष वर्ग या श्रेणी की सदस्यता के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का हकदार होगा।

28. छोटे प्रतिनिधि निकाय के लिए बोर्ड द्वारा विनियम बनाए जाएंगे।-

बोर्ड छोटी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के डेलीगेट्स के नॉमिनेशन, इलेक्शन, सिलेक्शन और हटाने से जुड़े सभी मामलों के लिए रेगुलेशन बनाएगा।

29. प्रथम चुनाव के लिए अंतरिम बोर्ड और आम बैठक.-

सोसायटी की पहली जनरल मीटिंग, सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के छह महीने के अंदर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के चुनाव के लिए होगी। सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाले मेंबर्स द्वारा चुना गया अंतरिम बोर्ड, रेगुलर बोर्ड के चुने जाने तक पद पर रहेगा।

30. साधारण निकाय की शक्तियाँ और कार्य.-

सोसायटी का बोर्ड संबंधित वित्तीय वर्ष के खत्म होने के 6 महीने के अंदर, सोसायटी के मुख्य कामकाज की जगह पर एक सालाना आम बैठक बुलाएगा। इस बैठक का मकसद ये होगा:

- i) ऑडिट किए गए खातों के स्टेटमेंट पर विचार करना
- ii) ऑडिट रिपोर्ट और सालाना रिपोर्ट पर विचार करना
- iii) ऑडिट अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना
- iv) ऑडिटर की नियुक्ति और उनके मेहनताने को मंजूरी देना
- v) अगर कोई ऑपरेशनल घाटा हो, तो उसकी समीक्षा करना
- vi) विशिष्ट भंडार एवं अन्य निधियों का सृजन
- vii) वार्षिक बजट का अनुमोदन;
- viii) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन;
- ix) द्र लाभ का निपटान;
- x) निदेशक मंडल के कामकाज की समीक्षा;
- xi) आरक्षित निधियों एवं अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा,
- xii) सहायक संस्था, यदि कोई हो, की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं की समीक्षा;
- xiii) सदस्यों का निष्कासन;
- xiv) उन कर्मचारियों की सूची की समीक्षा जो बोर्ड के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रिश्तेदार हैं;
- xv) उपनियमों में संशोधन, यदि कोई हो,
- xvi) बोर्ड के सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- xvii) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव तथा उन्हें हटाना, यदि कोई हो;
- xviii) बोर्ड के किसी सदस्य अथवा बोर्ड के सदस्य के जीवनसाथी अथवा पुत्र या पुत्री को पिछले वर्ष के दौरान दिए गए ऋण अथवा उधार पर माल, यदि कोई हो, का विवरण दर्शाने वाले विवरण पर विचार;
- xix) आगामी वर्ष के लिए कार्यकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन;
- xx) विनियमों का अनुमोदन और संशोधन; और
- xxi) निदेशक मंडल द्वारा उसके समक्ष रखा जाने वाला कोई अन्य मामला।

31. विशेष आम सभा की बैठक.-

चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, किसी भी समय, बोर्ड के निर्देश पर, सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुला सकते हैं और सेंट्रल रजिस्ट्रार से या सोसाइटी के कुल सदस्यों या डेलीगेट्स की संख्या के 1/3 से, जैसा भी मामला हो, मीटिंग के नोटिस में बताए गए काम को करने के लिए रिक्रिजिशन मिलने के एक महीने के अंदर ऐसी मीटिंग बुलाएंगे।

32. वार्षिक आम सभा और विशेष आम सभा की बैठक के लिए सूचना।-

- (1) सोसायटी की वार्षिक आम बैठक सोसायटी के सभी प्रतिनिधियों को लिखित में कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाई जा सकेगी।
- (2) सोसायटी की विशेष आम बैठक सोसायटी के सभी प्रतिनिधियों को लिखित रूप में कम से कम 7 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाई जा सकेगी।
- (3) सालाना आम बैठक के नोटिस के साथ पिछले साल की ऑडिट की गई बैलेंस शीट, प्रॉफ़िट और लॉस अकाउंट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उस पर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की एक-एक कॉपी होनी चाहिए। साथ ही, अगर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के लिए कोई चुनाव होना है तो उसका नोटिस और अगर बाय-लॉज़ में कोई बदलाव है तो उसकी जानकारी भी साथ होनी चाहिए।
- (4) आम निकाय की बैठक की सूचना सदस्यों/प्रतिनिधियों को निम्नलिखित तरीकों से भेजी जाएगी, अर्थात्-
 - i) लोकल डिलीवरी से या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से या कूरियर से या पोस्टल सर्टिफिकेट के तहत या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से; या
 - ii) बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन वाले न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करके।
- (5) साधारण निकाय की बैठक की सूचना सोसायटी तथा उसकी शाखाओं, यदि कोई हो, के नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दी जाएगी।

33. आम निकाय की बैठक का गणपूर्ति.-

- (1) आम निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति सोसायटी के कुल सदस्यों की संख्या का 1/5वाँ भाग या छोटे प्रतिनिधि निकाय के प्रतिनिधियों की कुल संख्या का 1/5वाँ भाग होगी:

बशर्ते कि आम निकाय की किसी भी बैठक में, कोरम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि खंड 19(1)(i) या 26(1)(i) में निर्दिष्ट वर्ग 1 के सदस्यों की श्रेणी से कम से कम 3 व्यक्ति, जो भी लागू हों, उपस्थित न हों।
- (2) किसी भी आम बैठक में कोई भी काम तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक का काम आरंभ होने के समय कोरम पूरा न हो।
- (3) यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक स्थगित हो जायेगी:

बशर्ते कि सदस्यों के कहने पर बुलाई गई मीटिंग टाली नहीं जाएगी, बल्कि उसे भंग कर दिया जाएगा।

- (4) यदि बैठक के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हों, तो अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहा सदस्य स्वयं अथवा उसका ध्यान इस ओर दिलाए जाने पर बैठक स्थगित कर देगा तथा इस बैठक में निपटाए जाने हेतु शेष कार्य, यदि कोई हो, स्थगित बैठक में सामान्य तरीके से निपटाया जाएगा।

जहां कोई बैठक उपधारा (3) या (4) के अधीन स्थगित की जाती है, वहां स्थगित रजिस्ट्रार की बैठक या तो उसी दिन या ऐसी तारीख, समय और स्थान पर होगी, जैसा कि अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा निश्चित किया जाए, किंतु स्थगित बैठक की तारीख से सात दिन के अन्दर होगी।

- (5) अगर सब-क्लॉज़ (3) या (4) के तहत कोई मीटिंग स्थगित की जाती है, तो स्थगित मीटिंग या तो उसी दिन होगी या फिर चेयरमैन या मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा तय की गई तारीख, समय और जगह पर होगी, लेकिन यह स्थगित मीटिंग की तारीख से सात दिनों के भीतर होनी चाहिए।

- (6) किसी स्थगित बैठक में उसकी कार्यसूची में शामिल कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा।

- (7) स्थगित बैठक में गणपूर्ति न होने पर भी वह अपना नियमित कामकाज करेगी।

34. साधारण सभा में मतदान.-

- (1) आम बैठक में मतदान के लिए रखे जाने वाले सभी प्रस्तावों पर उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जब तक कि अधिनियम अथवा नियमों अथवा इन उप-नियमों के अंतर्गत अन्यथा अपेक्षित न हो।

- (2) मत बराबर होने की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

35. आम सभा की बैठक का अध्यक्ष.-

बोर्ड के चेयरपर्सन जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। उनकी गैरमौजूदगी में, वाइस-चेयरपर्सन और दोनों की गैरमौजूदगी में, बोर्ड के सदस्य जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए किसी एक सदस्य को चुनेंगे।

36. संकल्प.-

जब तक एक्ट या नियमों और बाय-लॉज़ में खास तौर पर कुछ और न बताया गया हो, प्रस्ताव ज्यादातर वोटों से पास होंगे। वोट हाथ उठाकर लिए जाएंगे, जब तक कि दस सदस्य पोल की मांग न करें। ऐसे मामले में, पोल कराया जाएगा। हालाँकि, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स का चुनाव, नियमों के साथ दिए गए चुनाव शेड्यूल में बताए गए तरीके के अनुसार सीक्रेट बैलेट से होगा।

37. आम सभा की बैठक का विवरण.-

जनरल मीटिंग की कार्यवाही के मिनट्स मीटिंग खत्म होने के तीस दिन के अंदर, इस काम के लिए रखी गई मिनट्स बुक में दर्ज किए जाएंगे। उनके पेजों पर एक के बाद एक नंबर होंगे और मीटिंग के चेयरपर्सन और

चीफ एग्जीक्यूटिव, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, उनके साइन होंगे। मिनट बुक के हर पेज पर नाम या साइन किए जाएंगे और आखिरी पेज पर तारीख और साइन होगा। इस तरह साइन किए गए मिनट्स उस मीटिंग की सही कार्यवाही का सबूत होंगे।

38. बोर्ड के सदस्यों का चुनाव.-

- (1) मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अथॉरिटी को सूचित करेंगे ताकि समय पर चुनाव कराए जा सकें।
- (2) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव सोसायटी के सदस्यों की आम सभा में होगा और बोर्ड के निर्वाचित सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे।
- (3) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा ऐसे तरीके से होगा जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा नियम 19जी से 192 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।
- (4) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव प्राधिकरण द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
- (5) अधिनियम अथवा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड का चुनाव बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कराया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य, निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होते ही पदभार ग्रहण कर लें।
- (6) बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के चुनाव प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।
- (7) पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की पात्रता अधिनियम की धारा 43 तथा 44 में निहित उपबंधों के अधीन होगी।

39. निदेशक मंडल.-

- (1) सोसायटी के कार्यों का प्रबन्ध अधिनियम, नियमों तथा इन उपनियमों के अनुसार गठित निदेशक मंडल में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अधिनियम, नियमों तथा उपनियमों द्वारा क्रमशः प्रदत्त या अधिरोपित किये जायें।
- (2) सोसायटी के निदेशक मंडल का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा जिसमें सहयोजित निदेशकों तथा कार्यात्मक निदेशकों, यदि कोई हों, को छोड़कर अधिकतम इक्कीस निदेशक होंगे:-
 - i) पांच डायरेक्टर, जिन्हें जनरल बॉडी क्लास-1 के सदस्यों में से चुनेगी, जो सोसायटी के शेयर कैपिटल में सौ करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा का योगदान दे रहे हैं।
 - ii) दो निदेशक, जिनका चुनाव आम सभा द्वारा वर्ग-2 के सदस्यों में से किया जाएगा।
 - iii) जनरल बॉडी द्वारा क्लास-3 के सदस्यों में से एक डायरेक्टर चुना जाएगा।
 - iv) एक निदेशक, जिसका चुनाव आम सभा द्वारा कक्षा-4 के सदस्यों में से किया जाएगा।
 - v) जनरल बॉडी क्लास-5 के सदस्यों में से एक डायरेक्टर चुनेगी।
 - vi) सोसायटी के चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, बोर्ड के एक्स-ऑफिशियो मेंबर होंगे; और

vii) सह-निदेशक के रूप में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति:

बशर्ते कि छोटे प्रतिनिधि निकाय के गठन के बाद, केवल अपने-अपने सदस्यता वर्ग के लिए खंड 26 के अनुसार चुने गए या चयनित प्रतिनिधि ही इस खंड के उप-खंड (2) (i) से (v) के अंतर्गत निर्दिष्ट पद के लिए बोर्ड का चुनाव लड़ने के पात्र होंगे:

यह भी कहा गया है कि को-ऑप्टेड डायरेक्टर्स, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड के फील्ड में अनुभव रखने वाले या सोसाइटी के मकसद और एक्टिविटी से जुड़े किसी दूसरे फील्ड में स्पेशलाइज़ेशन रखने वाले 21 डायरेक्टर्स के अलावा होंगे, लेकिन उन्हें ऐसे मेंबर के तौर पर सोसाइटी के किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होगा या वे बोर्ड के ऑफिस बियरर के तौर पर चुने जाने के लायक नहीं होंगे:

यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सोसायटी के बोर्ड का चुनाव हार गया है, उसे बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर या कैजुअल वैकेंसी पर या किसी और तरह से को-ऑप्ट नहीं किया जाएगा।

(3) बोर्ड आवश्यक होने पर अपनी किसी बैठक में दो विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

40. निदेशक मंडल का कार्यकाल.-

- (1) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होगा तथा बोर्ड के अधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
- (2) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल, जो किसी संस्था या महासंघ, यदि कोई हो, के मनोनीत सदस्य हैं, संबंधित संस्था या महासंघ द्वारा समय-समय पर इंगित किया जाएगा, बशर्ते उनका कार्यकाल बोर्ड के निर्वाचित निदेशकों के कार्यकाल के साथ समाप्त हो: और संबंधित संस्था या महासंघ नए बोर्ड के चुनाव के बाद नए नामांकन करेगा।
- (3) निवर्तमान बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह नए बोर्ड के गठन के लिए अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नए चुनाव कराए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के नव निर्वाचित सदस्य निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों के पद की समाप्ति पर तुरन्त पदभार ग्रहण कर लें।
- (4) बोर्ड के निर्वाचित सदस्य पुनःनिर्वाचन के पात्र होंगे।

41. निदेशक मंडल की शक्तियां और कार्य.-

1. बोर्ड ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कार्य कर सकेगा जो अधिनियम अथवा नियमों अथवा इन उपनियमों के अधीन अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हों।
2. पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: -
3. सोसायटी में सदस्यों को शामिल करना, बाय-लॉज़ 12 के तहत अयोग्य होने पर सदस्यता खत्म करने के बारे में फैसला करना और निकालने की कार्रवाई के दौरान सदस्यों को सस्पेंड करना,
 - a. शेरों के आहरण, हस्तांतरण और जब्ती से संबंधित मामलों पर फैसला करना;

4. नियमों के अनुसार बोर्ड के चुनाव कराने के लिए समय पर व्यवस्था करना और सेंट्रल रजिस्ट्रार की मौजूदा गाइडलाइंस, अगर कोई हों, के अनुसार ऐसे चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करना
5. प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना:
 - a. बशर्ते कि चुनाव का प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद सोसायटी के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी किया जाएगा;
6. ऑर्गेनाइज़ेशनल ऑब्जेक्टिव्स को समझना और इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए खास गोल सेट करना;
7. आम निकाय की बैठकें बुलाने को अधिकृत करना;
8. ऑपरेशन और मकसद का समय-समय पर मूल्यांकन करना;
9. सोसायटी के मुख्य कार्यकारी या प्रबन्ध निदेशक, चाहे उन्हें किसी भी पदनाम से पुकारा जाए, को तथा सोसायटी के अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, निलम्बित करना या हटाना;
10. सोसायटी के कर्मचारियों की नियुक्ति को विनियमित करने और उनके वेतन-मान, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के लिए प्रावधान करना।
11. केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके पारिश्रमिक की आम निकाय को सिफारिश करना;
12. वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक योजना और बजट को आम सभा के अनुमोदन हेतु रखना;
13. ऑडिट और कम्प्लायंस रिपोर्ट पर विचार करना और उसे जनरल बॉडी के सामने रखना।
14. अन्य सहकारी समितियों की सदस्यता की समीक्षा करना, यदि कोई हो;
15. आम सभा के अनुमोदन से अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान करना;
16. आम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए वार्षिक एवं अनुपूरक बजट की सिफारिश करना;
17. फंड जुटाना और इन्वेस्ट करना।
18. बैंकों में सोसायटी के खाते खोलने, बंद करने और संचालन को अधिकृत करना;
19. अधिकारियों को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और सोसायटी की ओर से मुकदमों और अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने और बचाव करने के लिए अधिकृत करना;
20. सदस्यों को ऋण स्वीकृत करना;

21. सदस्यों से प्राप्त उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि वितरित करना,
22. लाभ के वितरण के संबंध में आम सभा को सिफारिश करना:
23. बोर्ड में किसी रिक्ति/रिक्तियों को चुनाव द्वारा भरना;
24. एक्ट या नियमों या इन बाय-लॉज के प्रोविज़न के अनुसार बोर्ड में डायरेक्टर्स को चुनना/अपॉइंट करना/नॉमिनेट करना/को-ऑप्ट करना;
25. आवश्यकतानुसार ऐसी समितियों, उप-समितियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें उपयुक्त शक्तियाँ सौंपना
26. जनरल बॉडी के लिए डेलीगेट्स के चुनाव के लिए; (ii) बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए; और (iii) एक्ट के नियमों के अनुसार जनरल बॉडी और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के संचालन के लिए नियम बनाना;
27. जनरल बॉडी के पास मंजूरी के लिए बाय-लॉज में बदलाव के प्रस्ताव बनाना:
28. जनरल बॉडी की मंजूरी के लिए अलग-अलग मामलों पर नियम बनाना, और
29. ऐसे अन्य उपाय करना या ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम, नियमों, विनियमों या उप-नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट या अपेक्षित हों या जिन्हें आम निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो।

42. बोर्ड का सदस्य होने की अयोग्यता.-

1. ऐसे अन्य उपाय करना या ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम, नियमों, विनियमों या उप-नियमों के तहत निर्दिष्ट या आवश्यक हों, या जो जनरल बॉडी द्वारा सौंपे जाएं।
2. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो या किसी दिवालिया कंपनी का निदेशक रहा हो या विकृत चित्त का हो;
3. नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो;
4. सोसाइटी के अन्तर्गत कोई पद या लाभ का स्थान धारण करता हो:
 - a. बशर्ते कि सोसायटी का चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे उसे कोई भी पद दिया गया हो, बोर्ड का सदस्य चुने जाने या होने के लिए योग्य होगा।
5. बोर्ड के चुनाव या नियुक्ति की तिथि से ठीक पहले बारह महीने से कम समय के लिए सोसायटी का सदस्य रहा हो, बशर्ते कि यह प्रतिबंध सोसायटी के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय शामिल होने वाले सदस्यों पर लागू नहीं होगा;
6. उस को-ऑपरेटिव से लोन या सामान उधार लिया है जिसका वह मेंबर है, या किसी और तरह से उस को-ऑपरेटिव का कर्जदार है और उस को-ऑपरेटिव से उसे जारी किया गया डिफॉल्ट का नोटिस मिलने के बाद उसने डिफॉल्ट किया है, -

7. ऐसे लोन या कर्ज की अदायगी में या क्रेडिट पर लिए गए सामान की कीमत के पेमेंट में, जैसा भी मामला हो, बढ़ाई गई तारीख के अंदर, जो किसी भी हालत में बढ़ाई गई तारीख के अंदर छह महीने से ज्यादा नहीं होगी, या
8. जब ऐसा लोन या कर्ज या क्रेडिट पर लिए गए सामान की कीमत किशतों में चुकाई जानी हो, तो किसी भी किशत के पेमेंट में, और डिफॉल्ट की गई रकम या उसका कोई हिस्सा ऐसे डिफॉल्ट की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर चुकाया न गया हो:
 - a. बशर्ते कि बोर्ड का कोई सदस्य, जो इस क्लॉज़ के तहत पद पर नहीं रहा है, वह पद छोड़ने की तारीख से एक साल तक, सोसायटी के बोर्ड के सदस्य के तौर पर दोबारा चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा।
9. ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध किसी डिक्री, निर्णय या आदेश के अन्तर्गत देय कोई राशि अधिनियम के अन्तर्गत या एमएससीएस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत वसूली हेतु लंबित है;
10. कूपेथे सोसाइटी की ओर से या उसके खिलाफ, या किसी अन्य को-ऑपरेटिव/संगठन की ओर से या उसके खिलाफ, जो सोसाइटी का सदस्य है, लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर रखा गया है या काम पर रखा गया है:

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कानूनी व्यवसायी" का वही अभिप्राय है, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (i) में है।

1. अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
2. उसे अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत सदस्य के पद से निष्कासित कर दिया गया हो;
3. लगातार तीन बोर्ड बैठकों से अनुपस्थित रहता है और बोर्ड द्वारा ऐसी अनुपस्थिति को माफ नहीं किया गया है;
4. लगातार तीन जनरल बॉडी मीटिंग से गैरहाज़िर रहता है और जनरल बॉडी के सदस्यों ने ऐसी गैरहाज़िरी को माफ नहीं किया है।
 - a. बोर्ड का कोई अधिकारी पांच वर्ष की अवधि तक सोसायटी के बोर्ड का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसके पद की अवधि के दौरान बोर्ड निम्नलिखित कार्य करने में असफल रहता है:
5. एमएससीएस एक्ट के तहत चुनाव कराने के लिए को-ऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग, जानकारी, फंड या खर्च, डॉक्यूमेंट या कोई और मदद, बताए गए तरीके से देना; या
6. अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत आम सभा की बैठक बुलाना; या
7. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना और उसे सालाना आम मीटिंग में पेश करना; या
8. धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी शिक्षा निधि या धारा 63ए के अन्तर्गत स्थापित सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि में अंशदान करना; या
9. धारा 120 में निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर दाखिल करना; या
10. उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर सोसायटी का ऑडिट करवाना जिससे ऐसा खाता संबंधित है।
 - a. ऐसा व्यक्ति जो किसी बहुराज्य सहकारी समिति या किसी राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी सहकारी समिति के बोर्ड का निदेशक रहा हो, जहां ऐसे बोर्ड को अधिक्रमित कर दिया गया हो, ऐसे अधिक्रमण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक समिति के बोर्ड का

निदेशक चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उस व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दिया गया हो और केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे अधिक्रमण के लिए हुई चूक या कमीशन के कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो।

11. किसी भी व्यक्ति को बोर्ड की सीट भरने के लिए चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, अगर वह:
- a. वोट देने के लिए अयोग्य है
 - b. एमएससीएस एक्ट, 2002 और एमएससीएस नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य या बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है या अयोग्य है, और
12. बोर्ड के सदस्य के तौर पर चुनाव के लिए ऊपर बताई गई ज़रूरी योग्यताएं नहीं रखता है।

42A. नामित सदस्य सहकारी समिति में स्थिति की हानि के कारण प्रतिनिधित्व की समाप्ति।-

(1) किसी सदस्य सहकारी समिति द्वारा इस सोसायटी की आम सभा या बोर्ड में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कोई व्यक्ति, नामित सदस्य सहकारी समिति की आम सभा या बोर्ड का सदस्य न रहने पर तुरन्त प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा।

(2) ऐसा व्यक्ति तत्काल प्रभाव से इस सोसाइटी के बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा और इस प्रकार उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 तथा इन उपनियमों के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

(3) मनोनीत सदस्य सोसायटी 15 दिन के अन्दर ऐसी समाप्ति की सूचना सोसायटी को देगी और 30 दिन के अन्दर नये प्रतिनिधि को मनोनीत करेगी, ऐसा न करने पर सीट रिक्त मानी जायेगी।

43. बोर्ड के निर्वाचित सदस्य को आम सभा द्वारा हटाया जाना।-

बोर्ड का कोई चुना हुआ सदस्य, जिसने सोसायटी के हितों के खिलाफ काम किया है, उसे सेंट्रल रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर या किसी और तरह से बोर्ड से हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव आम सभा की मीटिंग में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पास किया जाएगा:

बशर्ते कि संबंधित सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे मामले में अपनी बात रखने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

44. निदेशक मंडल के पद में रिक्ति.-

अगर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के चुने हुए पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति (casual vacancy) होती है, तो उसे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा:

बशर्ते कि प्रबंध निदेशक ऐसी आकस्मिक रिक्तियों की सूचना सहकारी चुनाव प्राधिकरण को, जो अधिनियम की धारा 45जे के अनुसार चुनाव द्वारा भरी जानी हैं, होने के एक सप्ताह के भीतर देंगे।

45. निदेशक मंडल की बैठकें.-

(1) सोसायटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबन्ध निदेशक, चाहे उसे किसी भी पदनाम से पुकारा जाए, सोसायटी के अध्यक्ष के अनुरोध पर बोर्ड की बैठकें बुलाएगा:

बशर्ते कि जहां अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी या प्रबंध निदेशक को तिमाही के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश देने में विफल रहता है, ऐसा मुख्य कार्यकारी या प्रबंध निदेशक उपाध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य के अनुरोध पर बैठक बुलाएगा:

यह भी कहा गया है कि पहले प्रोविज़ो में दी गई किसी भी बात के बावजूद, चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड के कम से कम पचास परसेंट सदस्यों के कहने पर भी मीटिंग बुला सकते हैं।

(2) आपातकाल मामलों को छोड़कर, निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए सामान्यतः कम से कम सात दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(3) आपातकाल की स्थिति में, बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर, अध्यक्ष सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक को, चाहे उन्हें किसी भी पदनाम से पुकारा जाए, बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत करेगा।

(4) बोर्ड की मीटिंग आम तौर पर सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगी। खास मामलों में, बोर्ड की मीटिंग बोर्ड द्वारा तय की गई किसी दूसरी जगह पर भी हो सकती हैं, लेकिन वह सोसाइटी के कामकाज के एरिया में ही होगी।

(5) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित निदेशक अपने में से बैठक के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

(6) बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(7) बोर्ड की बैठक में चर्चा के लिए लाए गए किसी भी सवाल पर बोर्ड के ज्यादातर सदस्यों को फैसला लेना चाहिए। अगर वोट बराबर हों, तो चेयरपर्सन को कास्टिंग वोट या दूसरा वोट देने का अधिकार होगा।

(8) बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।

(9) बोर्ड बैठक का कोरम पद पर निर्वाचित कुल निदेशकों के कम से कम एक तिहाई से मिलकर बनेगा:

बशर्ते कि खंड 39 (2) (i) में विनिर्दिष्ट निदेशकों में से कम से कम 3 निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित हों।

46. बोर्ड की समितियाँ.-

(1) बोर्ड एक कार्यकारी समिति तथा ऐसी अन्य समितियों अथवा उप-समितियों का गठन कर सकता है, जिन्हें सोसायटी के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाए:

बशर्ते कि बोर्ड निम्नलिखित का गठन करेगा-

- (a) लेखापरीक्षा और नैतिकता समिति;
- (b) काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति।

(2) बोर्ड अपनी कोई भी शक्ति कार्यकारी समिति या उसके द्वारा गठित समितियों या उप-समितियों को या अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को या मुख्य कार्यकारी या प्रबंध निदेशक को, चाहे वह किसी भी पदनाम से पुकारा जाए, या सोसायटी के किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह ठीक समझे, सौंप सकता है।

46A. लेखापरीक्षा एवं आचार समिति.-

(1) निदेशक मंडल एक लेखापरीक्षा और नैतिकता समिति का गठन करेगा जिसमें अध्यक्ष, बोर्ड के दो निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे।

(2) निदेशक मंडल के नियंत्रण और अधिकार के अधीन रहते हुए, लेखापरीक्षा और नैतिकता समिति के ऐसे कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी, जो मंडल द्वारा समय-समय पर उसे सौंपी जाएंगी।

(3) लेखापरीक्षा तथा आचार समिति को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले या बोर्ड द्वारा उसे संदर्भित किए गए मामलों से संबंधित किसी भी मामले की जाँच करने का अधिकार होगा।

46B. यौन उत्पीड़न समिति. -

रजिस्ट्रार कोफ्रे बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम पर एक कमेटी बनाएगा, जिसमें ये लोग शामिल होंगे:

(a) सोसायटी में सीनियर लेवल पर काम करने वाली महिला कमेटी की चेयरपर्सन होगी।

(b) सोसायटी के स्टाफ़ में से कम से कम दो और सदस्य, जिनमें से एक पुरुष सदस्य होना ज़रूरी है, बेहतर होगा कि वे:

- (i) सामाजिक कार्य में अनुभव, या
- (ii) कानूनी पृष्ठभूमि, या

(c) ऑर्गनाइज़ेशन के बाहर का कोई व्यक्ति जो किसी NGO या ऐसे ही किसी ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा हो जो महिलाओं के अधिकारों या जेंडर से जुड़े मुद्दों पर काम करता हो, या कोई लीगल एक्सपर्ट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कानूनों को जानता हो।

(d) कमेटी के चेयरपर्सन द्वारा सोसायटी से एक महिला ऑफिसर को कमेटी का कन्वीनर बनाया जाएगा।

(2) शिकायतकर्ता के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समिति के सदस्यों में अधिकांश महिलाएं होंगी।

(3) समिति का प्रत्येक तीन वर्ष पर पुनर्गठन किया जाएगा।

(4) सदस्यों को यौन उत्पीड़न कानूनों और मामलों को संभालने के लिए आवश्यक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- (5) समिति के नाम और सम्पर्क विवरण सोसायटी में अच्छी तरह से प्रचारित किए जाएंगे।
- (6) समिति को स्वतंत्र और गोपनीय तरीके से काम करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें कोई पक्षपात या प्रभाव न हो।
- (7) समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक के अनुरोध पर बुलाई जाएगी और ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।
- (8) समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:
- a) सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतें लेना और उन्हें सुलझाना।
 - b) नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अनुसार जांच करना।
 - c) एम्प्लॉयर को सुधार के उपाय सुझाना।
 - d) काम की जगह पर सुरक्षित और परेशानी-मुक्त माहौल पक्का करना
- (9) समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए।

47. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.-

- (1) निदेशक मंडल द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आम सभा तथा निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (2) चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन का कार्यकाल बोर्ड के चुने हुए सदस्यों के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा, जब तक कि चेयरपर्सन या वाइस-चेयरपर्सन इससे पहले डायरेक्टर नहीं रह जाते। इस समय के अंदर कोई भी खाली जगह होने पर, बोर्ड उस खाली जगह को बोर्ड के बाकी बचे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव के ज़रिए भरेगा।
- (3) एक बार निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोर्ड की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे, सिवाय तब जब निदेशक मंडल उचित नोटिस देकर बोर्ड के 2/3 बहुमत द्वारा उन्हें हटाने का संकल्प ले ले।

48. अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य.-

चेयरपर्सन के पास ये अधिकार और काम होंगे:

- i) वह जनरल बॉडी, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, और किसी भी कमेटी या सब-कमेटी की मीटिंग्स की अध्यक्षता करेगा, अगर वह ऐसी कमेटी या सब-कमेटी का सदस्य है;
- ii) वह सोसायटी के मुख्य कार्यकारी या प्रबंध निदेशक, चाहे वह किसी भी पदनाम से पुकारे जाएं, के साथ मिलकर उसके द्वारा अध्यक्षता की गई बैठकों की कार्यवाही या उसके विवरण पर हस्ताक्षर करेगा/करेगी;
- iii) किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर होने की स्थिति में, चेयरपर्सन को मीटिंग में वोट देने का अधिकार होगा;

iv) अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक मंडल, समितियों अथवा उप-समिति की बैठकें बुलाने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिसका वह अध्यक्ष है;

v) चेयरपर्सन अपनी कोई भी पावर और काम वाइस-चेयरपर्सन को दे सकता है।

49. कुछ मामलों में अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने का प्रतिषेध।-

(1) बोर्ड का कोई भी सदस्य सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री है।

(2) बोर्ड का कोई भी सदस्य सोसायटी के अध्यक्ष या राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब वह इस पद को लगातार दो कार्यकालों के दौरान, चाहे पूर्ण या आंशिक रूप से धारण कर चुका हो:

बशर्ते कि कोई सदस्य जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट के पद पर एक पूरे टर्म तक लगातार नहीं रहा हो, वह फिर से उस पद के लिए चुने जाने के लिए योग्य होगा।

50. सहकारी समिति में पद धारण करना.-

कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो से अधिक बहुराज्यीय सहकारी समितियों के बोर्ड में अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

51. निदेशक मंडल की बैठक तथा अन्य बैठकों की कार्यवाही।-

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड की हर कमिटी या सब-कमेटी की हर मीटिंग की सभी कार्यवाही के मिनट्स, हर मीटिंग के खत्म होने के तीस दिनों के अंदर, इस मकसद के लिए रखी गई मिनट्स बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके पेजों पर एक के बाद एक नंबर लिखे होंगे। उस मीटिंग के चेयरपर्सन या अगली मीटिंग के चेयरपर्सन और सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मीटिंग के मिनट्स पर साइन करेंगे।

52. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.-

- i) सोसायटी के मुख्य कार्यकारी को प्रबंध निदेशक कहा जाएगा और बोर्ड द्वारा एमएससीएस अधिनियम, 2002, एमएससीएस नियम, 2002 तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सोसायटी के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- ii) मुख्य कार्यकारी, बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमिटी (अगर कोई हो) का, या बाय-लॉज में बताई गई या बोर्ड द्वारा अधिकृत अन्य कमिटियों या सब-कमिटियों का पदेन सदस्य होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- iii) बोर्ड, सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की योग्यता, अनुभव, पात्रता तथा सेवा की अन्य शर्तों व नियमों के लिए नियम बनाएगा।

53. मुख्य कार्यकारी की शक्तियाँ और कार्य

बोर्ड के आम सुपरविज़न, डायरेक्शन और कंट्रोल के तहत, सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर, काम और ज़ूटी होंगी, यानी:-

- (i) नीति, उद्देश्य और योजना बनाने में बोर्ड की सहायता करना;
- (ii) आम सभा या बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित करना तथा सोसायटी की गतिविधियों, संचालन तथा कार्यों तथा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की दिशा में उपलब्धियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आवधिक सूचना निदेशक मंडल को उपलब्ध कराना;
- (iii) अध्यक्ष के अनुरोध पर आम सभा, बोर्ड, कार्यकारी समिति तथा अन्य विभिन्न समितियों अथवा उप-समितियों की बैठकें बुलाना तथा ऐसी बैठकों का उचित अभिलेख रखना;
- (iv) सोसायटी की विभिन्न पुस्तकों तथा अभिलेखों के उचित रख-रखाव तथा अधिनियम, नियमों तथा उपनियमों के उपबंधों के अनुसार आवधिक विवरणों तथा विवरणियों को सही ढंग से तैयार करने तथा समय से प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना;
- (v) बैठक की कार्यवाही रिकॉर्ड करना तथा उस पर विधिवत हस्ताक्षर करवाना;
- (vi) बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड सोसायटी के अकाउंट खोलना और उन्हें ऑपरेट करना और कैश की सेफ़ कस्टडी का इंतज़ाम करने के लिए ज़िम्मेदार होना;
- (vii) सोसायटी के कोष का प्रबंधन करना, उचित खातों का रखरखाव तथा लेखा परीक्षा करवाना;
- (viii) सोसायटी के सभी पत्राचार पर ध्यान देना,
- (ix) सोसायटी की ओर से हस्ताक्षर करना और उसका पत्राचार करना;
- (x) सोसायटी के रोज़मर्रा के कामकाज और मामलों की व्यवस्था करना
- (xi) सोसायटी के फंड को इकट्ठा करने और उनकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होना।
- (xii) सोसायटी की पॉलिसी/प्रोग्राम और बिजनेस को लागू करना और जनरल बॉडी, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी या बाय-लॉज के तहत बनी किसी दूसरी कमेटी या सब-कमेटी के प्रस्तावों को लागू करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करना।
- (xiii) बोर्ड या दूसरी कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार, सभी डिपॉज़िट रसीदों पर साइन करना, नया अकाउंट खोलना और बैंकों में सोसायटी के मौजूदा अकाउंट को बंद करना;
- (xiv) सोसायटी की ओर से वचन पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियों का समर्थन तथा हस्तांतरण करना तथा चेकों का समर्थन, हस्ताक्षर, भुनाना तथा लिखतों पर बातचीत करना;
- (xv) सोसायटी की ओर से वाद लाने या जिस पर वाद लाया जा सके, सोसायटी का अधिकारी बनना या सोसायटी के स्टाफ में से किसी अधिकारी को नियुक्त करना तथा सोसायटी के पक्ष में समस्त पुस्तकों तथा व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर करना;
- (xvi) सोसायटी में ऐसे कर्मिकों को ऐसे पदनाम से नियुक्त करना जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए;
- (xvii) सोसायटी के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करना;
- (xviii) सभी कर्मचारियों और स्टाफ के संबंध में प्रशासनिक नियंत्रण रखना जिसमें छुट्टी मंजूर करना, वार्षिक वेतन वृद्धि मंजूर करना और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित अन्य मामले शामिल हैं;
- (xix) सोसायटी के सदस्यों की सूची सही एवं अद्यतन रखना;
- (xx) अपने पास मौजूद सभी या कोई भी पावर, अधिकार और समझदारी, जो बोर्ड ने उसे खास तौर पर नहीं दी हैं, सोसायटी के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को देना, बशर्ते कि आखिरी कंट्रोल और अधिकार उसी के पास रहे;
- (xxi) यदि कोई हो, निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, बातचीत में प्रवेश करना, अनुबंधों को मंजूरी देना और ऐसे अनुबंधों को रद्द करना और बदलना, समय-समय पर मंडल द्वारा अनुमोदित आकस्मिक, राजस्व और पूंजीगत व्यय करना और मंडल द्वारा निर्धारित मूल्य तक सोसायटी के उद्देश्य के लिए पूर्वोक्त किसी भी मामले के संबंध में सोसायटी की ओर से और सोसायटी के नाम पर ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करना;

- (xxii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर बोर्ड की मंजूरी के लिए ड्राफ़्ट वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण पेश करना।
- (xxiii) उसे सौंपे गए सभी काम करना और ऐसी दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल करना जो उसे जनरल बॉडी, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी, दूसरी कमेटियों या सब-कमेटियों और चेयरपर्सन द्वारा समय-समय पर दी जाएं; और
- (xxiv) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि सोसायटी के उपनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

अध्याय-5: उत्पाद मूल्य का निर्धारण और लाभ का विनियोजन

54. प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय करें

जहां सोसायटी किसी सदस्य से आपसी सहमति से तय शर्तों के अनुसार प्रोडक्ट लेती है, वहां प्रोडक्ट की कीमत इस तरह तय की जाएगी।

- (a) उत्पाद(ओं) का आरंभिक मूल्य सदस्य(ओं) को उत्पाद(ओं) के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अस्थायी रूप से दिया जा सकता है;
- (b) शुद्ध अधिशेष की गणना ऐसे उत्पाद(ओं) की बिक्री पर समिति द्वारा किए गए सभी व्ययों की कटौती के बाद बिक्री मूल्य और प्रारंभिक मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी;
- (c) सोसायटी अपने मेंबर को उनके प्रोडक्ट के लिए नेट सरप्लस का 50% तक देने की कोशिश करेगी, जैसा कि बोर्ड तय करेगा; और
- (d) सदस्य(कों) को देय उत्पाद(ओं) का अंतिम मूल्य बोर्ड द्वारा आरंभिक मूल्य तथा पूर्ववर्ती उप-खण्ड (ग) के अन्तर्गत भुगतान हेतु प्रस्तावित शुद्ध अधिशेष के भाग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

55. शुद्ध लाभ का निपटान.-

(1) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निदेशक मंडल की सिफारिशों पर आम निकाय निम्नलिखित तरीके से शुद्ध लाभ को विनियोजित कर सकेगा, अर्थात्-

- (i) शुद्ध लाभ का कम से कम 25% आरक्षित निधि में स्थानांतरित करना,
- (ii) अपने शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत अंशदान के रूप में प्रत्येक वर्ष संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से बनाए रखे गए सहकारी शिक्षा कोष के खाते में जमा करना;
- (iii) शुद्ध लाभ का कम से कम 10% अप्रत्याशित घाटे को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए आरक्षित कोष में स्थानांतरित करना;
- (iv) एक करोड़ रुपये या सोसाइटी के नेट प्रॉफिट का एक परसेंट, जो भी कम हो, उसे को-ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फंड में क्रेडिट करें। यह फंड केंद्र सरकार ने एक्ट के सेक्शन 63B में बताई गई बीमार मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी को फिर से शुरू करने और एक्ट के सेक्शन 63A के अनुसार डेवलपमेंट के मकसद से बनाया है, बशर्ते सोसाइटी ने पिछले तीन फाइनेंशियल सालों में प्रॉफिट कमाया हो।

(2) पूर्ववर्ती उप-खण्ड के अन्तर्गत शुद्ध लाभ का विनियोजन करने के पश्चात, बोर्ड की सिफारिशों पर सामान्य निकाय शुद्ध लाभ के शेष को निम्नलिखित सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए विनियोजित कर सकता है,-

- (a) सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत तक की दर से लाभांश का भुगतान करने का लक्ष्य रखेगा:

बशर्ते कि अगर किसी साल में बिना बांटे गए नेट प्रॉफिट में कमी की वजह से, तय रेट पर डिविडेंड नहीं दिया जा सका, तो जनरल बॉडी कम रेट तय कर सकती है जिस पर मेंबर्स को डिविडेंड दिया जाएगा।

- (b) शिक्षा निधि में अंशदान, जिसका उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार नियमित आधार पर सदस्यों, निदेशकों एवं कर्मचारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा;

- (c) सहकारी आंदोलन के विकास या धर्मार्थ उद्देश्य से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए शुद्ध लाभ के 1% से अधिक दान, जैसा कि लागू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है;
- (d) सोसायटी के कर्मचारी को बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर अनुग्रह राशि का भुगतान;
- (e) किसी अन्य निधि का सृजन;
- (f) अवितरित लाभ, यदि कोई हो, समिति के आरक्षित कोष में जोड़ा जाएगा।

(3) किसी सदस्य से लिए गए प्रोडक्ट्स की बिक्री से हुई कमाई पर नेट सरप्लस के पेमेंट या सदस्यों के पेड अप शेयर कैपिटल पर डिविडेंड के पेमेंट के बारे में क्लॉज़ 54 और 55 में दी गई किसी भी बात के बावजूद, बोर्ड या जनरल बॉडी, जैसा भी हो, प्रोडक्ट की आखिरी कीमत और सदस्यों को दिए जाने वाले डिविडेंड को ट्रांसपेरेंट और समझदारी भरे तरीके से तय करने के लिए नेट सरप्लस के पेमेंट में बैलेंस बनाए रखेगी ताकि नेट सरप्लस और डिविडेंड का बराबर बंटवारा पक्का हो सके।

56. निधियों का निवेश.-

सोसायटी अपने फंड को इनमें इन्वेस्ट या जमा कर सकती है:

- (a) कोई सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक; या
- (b) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कॉर्पोरेशन, सरकारी कंपनियों, अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग द्वारा जारी कोई भी सिक्क्योरिटी या सरकारी गारंटी से पक्की कोई दूसरी सिक्क्योरिटी;
- (c) या किसी बहु-राज्य सहकारी समिति या किसी सहकारी समिति के शेयर और प्रतिभूतियाँ; या
- (d) किसी सब्सिडियरी संस्था या सोसाइटी के जैसे ही बिज़नेस करने वाली किसी दूसरी संस्था के शेयर, सिक्क्योरिटीज़ या एसेट्स; या
- (e) कोई अन्य अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक।

57. आरक्षित निधि

(1) अधिनियम, नियमों तथा इन उप-नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त समस्त प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क, नाममात्र सदस्यता शुल्क, जब्त लाभांश की राशि तथा दान, यदि कोई हो, आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।

(2) आरक्षित निधि को अलग से सरकारी और न्यासी प्रतिभूतियों या किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अन्य बैंक में सावधि जमा में निवेश किया जाएगा।

(3) अप्रत्याशित घाटे को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई आरक्षित निधि, अप्रत्याशित घाटे से उत्पन्न होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए आम निकाय के प्रस्ताव द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

(4) वर्ष भर के कामकाज के शुद्ध परिणाम के रूप में होने वाली किसी हानि की भरपाई केन्द्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से आरक्षित निधि से या अगले वर्ष या वर्षों के लाभ से की जा सकेगी।

58. लाभांश.-

(1) घोषित लाभांश का भुगतान उस सदस्य को किया जाएगा जिसका नाम सोसायटी की पुस्तकों में पंजीकृत शेयरधारक के रूप में उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन दर्ज है जिससे लाभांश संबंधित है।

(2) घोषित होने के पश्चात तीन वर्ष तक दावा न किया गया कोई लाभांश बोर्ड द्वारा जब्त किया जा सकेगा तथा उसे समिति के आरक्षित कोष में जमा कर दिया जाएगा।

(3) अवैतनिक लाभांश आवेदन पर देय होगा बशर्ते कि उसे जब्त न किया गया हो।

(4) लाभांश शेयरों पर भुगतान की गई राशि और पूरे महीनों की अवधि के अनुपात में होगा जिसके लिए राशि कंपनी के क्रेडिट में रही है

59. खाते और अभिलेख

अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स एक्ट, रूल्स और इन बाय-लॉज़ के तहत बताए गए फ़ॉर्म में मेंटेन किए जाएंगे, साथ ही बोर्ड जो ज़रूरी समझे, उसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ी जाएंगी। सोसाइटी का कोई भी मेंबर ऑफिस टाइम में किसी भी रजिस्टर या रिकॉर्ड को इंसपेक्ट कर सकता है, अगर वह उसके अपने बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन से जुड़ा हो।

60. लेखापरीक्षा

(1) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सोसायटी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराई जाएगी।

(1A) सोसायटी, एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 73(6) के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा तथा लेखांकन के ऐसे मानकों को अपनाएगी। जब तक ऐसे मानकों को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा तथा लेखांकन मानकों को लेखापरीक्षा तथा लेखांकन के मानक माना जाएगा।

(2) सोसायटी प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में एक लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को उस बैठक की समाप्ति से लेकर अगली वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद धारण करने के लिए नियुक्त करेगी और नियुक्ति के सात दिनों के भीतर इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक को इसकी सूचना देगी:

बशर्ते कि ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म को सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा मंजूर पैनल से नियुक्त किया जाएगा।

(3) नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक सोसायटी से अपनी नियुक्ति की सूचना प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर लिखित रूप में केंद्रीय रजिस्ट्रार को सूचित करेगा कि उसने नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है या स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

(4) सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक को पुनः नियुक्त किया जाएगा, जब तक कि-

- a) वह पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है;
- b) उसने सोसायटी को पुनः नियुक्त होने की अपनी अनिच्छा के बारे में लिखित में नोटिस दे दिया है;
- c) सदस्यों की आम बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया हो जिसमें उसकी जगह किसी और व्यक्ति को नियुक्त किया गया हो या यह साफ़ तौर पर कहा गया हो कि उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा; या

- d) जहां रिटायर हो रहे ऑडिटर की जगह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने के इरादे वाले प्रस्ताव का नोटिस दिया गया हो, और उस व्यक्ति अथवा उन सभी व्यक्तियों की मृत्यु, अक्षमता अथवा अयोग्यता के कारण, जैसा भी मामला हो, संकल्प पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(5) जहां सालाना आम मीटिंग में कोई ऑडिटर अपॉइंट या री-अपॉइंट नहीं किया जाता है, वहां सेंट्रल रजिस्ट्रार खाली जगह भरने के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है।

(6) सोसायटी का प्रथम लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को सोसायटी के पंजीकरण की तिथि से एक महीने के अन्दर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जायेगा और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक प्रथम वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद धारण करेंगे:

उसे उपलब्ध कराया-

- (a) सोसाइटी, एक जनरल मीटिंग में, ऐसे किसी ऑडिटर या सभी या किसी भी ऑडिटर को हटा सकती है और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें सोसाइटी के किसी सदस्य ने नियुक्ति के लिए नॉमिनेट किया हो और जिनके नॉमिनेशन का नोटिस सोसाइटी के सदस्यों को मीटिंग की तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले दिया गया हो, और
- (b) अगर बोर्ड इस सब-क्लॉज के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में नाकाम रहता है, तो सोसायटी आम मीटिंग में पहला ऑडिटर या ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकती है।

(7) (क) सोसायटी लेखापरीक्षक के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भर सकती है, किन्तु जब तक ऐसी रिक्ति जारी रहती है, तब तक शेष लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक, यदि कोई हों, निम्न कार्य कर सकते हैं:

बशर्ते कि जहां ऐसी रिक्ति किसी लेखा परीक्षक के इस्तीफे या मृत्यु के कारण हुई हो, तो रिक्ति केवल बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षकों के उस पैनल से दाखिल की जाएगी जिसमें से ऐसे लेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया था।

(b) किसी कैजुअल वैकेंसी में नियुक्त कोई भी ऑडिटर अगली एनुअल जनरल मीटिंग के खत्म होने तक पद पर रहेगा।

(8) सोसायटी द्वारा नियुक्त किसी लेखा परीक्षक को सोसायटी की आम बैठक द्वारा उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है

(9) सोसाइटी के ऑडिटर्स का पारिश्रमिक

(a) बोर्ड या सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त ऑडिटर के मामले में, बोर्ड या सेंट्रल रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, उसे तय कर सकता है; और

(b) उप-खण्ड (a) के अधीन रहते हुए, सोसायटी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसी रीति से, जैसा सोसायटी आम बैठक में निर्धारित करे, तय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ऑडिटर के खर्च के संबंध में सोसायटी द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि "पारिश्रमिक" अभिव्यक्ति में शामिल मानी जाएगी।

(10) लेखा परीक्षक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छह महीने के भीतर सोसायटी को प्रस्तुत करेगा, जिससे ऐसे खाते संबंधित हैं।

(11) यदि समिति एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 70ए के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल में से नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा की जाएगी।

61. लेखापरीक्षक का आम बैठक में उपस्थित होने का अधिकार.-

सोसायटी की किसी भी जनरल मीटिंग के सभी नोटिस और उससे जुड़े दूसरे कम्युनिकेशन, जिन्हें सोसायटी का कोई भी सदस्य उसे भेजने का हकदार है, सोसायटी के ऑडिटर को भी भेजे जाएंगे; और ऑडिटर किसी भी जनरल मीटिंग में शामिल होने और ऑडिटर के तौर पर उससे जुड़े काम के किसी भी हिस्से पर अपनी बात सुने जाने का हकदार होगा।

62. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एवं हटाने संबंधी संकल्प, उनकी योग्यताएं, शक्तियां तथा कर्तव्य आदि-

ऑडिटर को अपॉइंट करने और हटाने के लिए प्रस्ताव पास करने का तरीका, उनकी क्वालिफिकेशन, डिस्कवालिफिकेशन, पावर, काम और ड्यूटी वगैरह एक्ट और नियमों में बताए गए तरीके से होंगे।

63. वार्षिक खाते और बैलेंस शीट.-

सोसायटी की हर सालाना आम बैठक में बोर्ड, जनरल बॉडी के सामने रखेगा।

- a) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के रूप में एक बैलेंस शीट; और
- b) उस साल का लाभ-हानि खाता

63A. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का पठन और निरीक्षण।

ऑडिटर की रिपोर्ट सोसायटी के सामने जनरल मीटिंग में पढ़ी जाएगी और सोसायटी का कोई भी सदस्य इसे देख सकता है।

64. रिटर्न दाखिल करना.-

हर साल अकाउंटिंग साल खत्म होने के छह महीने के अंदर, सोसायटी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ये रिटर्न फाइल करेगी, यानी:-

- (a) गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें बोर्ड के उन निर्णयों का विवरण शामिल होगा जो सर्वसम्मति से नहीं लिए गए थे;
- (b) लेखापरीक्षित लेखा विवरण;
- (c) आम निकाय द्वारा अनुमोदित अधिशेष निपटान योजना;
- (d) सोसायटी के उपनियमों में संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,
- (e) आम निकाय की बैठक के आयोजन की तिथि तथा निर्वाचन संचालन के संबंध में घोषणा, यदि नियत हो;
- (f) ऐसे कर्मचारियों के बारे में प्रकटीकरण जो बोर्ड के सदस्यों के संबंधी हैं;
- (g) बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन की घोषणा; और
- (h) अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

अध्याय-7: विविध

65. आम बैठक की कार्यवृत्त पुस्तिका का निरीक्षण।-

सोसायटी की किसी भी आम मीटिंग की कार्यवाही के मिनट्स वाली किताबें सोसायटी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएंगी और काम के घंटों के दौरान सोसायटी के किसी भी सदस्य के इंस्पेक्शन के लिए खुली रहेंगी।

65A. नियमों और उपनियमों आदि की कॉपी जांच के लिए। -

मैनेजिंग डायरेक्टर, NCEL के एक्ट, नियमों और बाय-लॉज़ की एक कॉपी और इसके सदस्यों की एक लिस्ट भी सोसायटी के रजिस्टर्ड पते पर रखेंगे, जिसे हर सही समय पर फ्री में इंस्पेक्शन के लिए खुला रखा जाएगा।

65B. सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति। -

- (1) NCEL, सदस्यों को सोसायटी के मामलों और मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक को-ऑपरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CIO) नियुक्त करेगा; और ऐसी जानकारी बाय-लॉ 65-C में बताए गए डिस्कलोजर नॉर्म्स के तहत आने वाली जानकारी तक ही सीमित होगी।
- (2) समिति का कोई भी सदस्य उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की सूचना प्राप्त करने के लिए एमएससीएस नियम, 2002 से संलग्न प्रपत्र IX में लिखित रूप में अथवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सहकारी सूचना अधिकारी (सी.आई.ओ.) को आवेदन कर सकता है।
- (3) उप-खण्ड (2) के अन्तर्गत आवेदन करने वाले सदस्य को सूचना या अन्य व्यक्तिगत विवरण मांगने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उनके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- (4) आवेदन शुल्क, सूचना उपलब्ध कराने के लिए अन्य प्रभार तथा भुगतान का तरीका सूचना का अधिकार (फ़ीस और लागत विनियमन) नियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट होगा।
- (5) सीआईओ निर्धारित प्रपत्र के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर या तो सूचना उपलब्ध कराएगा अथवा ऐसा करने का कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देगा।
- (6) सोसायटी का कोई भी सदस्य जिसका आवेदन अस्वीकृत हो गया है, एमएससीएस अधिनियम के तहत सहकारी लोकपाल को अपील कर सकता है।

65C. सूचना की प्रकृति.-

- (1) उप-नियम 65-D के अधीन, सदस्यों को निम्नलिखित जानकारी दी जा सकती है।
 - (a) सदस्यता से संबंधित प्रश्न जैसे कि कुल सदस्यता और उसका वर्गीकरण, एनसीईएल द्वारा भुगतान किया गया लाभांश, उस सदस्य समिति की चुकता शेयर पूंजी के बारे में जानकारी;
 - (b) ऑडिट किए गए अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट की कॉपी; और
 - (c) एनसीईएल के उपनियमों की प्रति।
- (2) मुख्य सूचना अधिकारी को आवेदन एमएससीएस अधिनियम, 2002 तथा एमएससीएस नियम, 2002 में विनिर्दिष्ट प्रारूप तथा अर्हताओं के साथ किया जाएगा।

65D. सूचना के प्रकटीकरण से छूट.-

इन बाय-लॉज में दी गई किसी भी बात के बावजूद, किसी भी सदस्य को कोई भी जानकारी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी: -

- a) जिसके प्रकटीकरण से एनसीईएल की सुरक्षा, रणनीतिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;
- b) जिसे किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई हो या जिसके प्रकट होने से न्यायालय की अवमानना मानी जाती हो;
- c) जिसके प्रकटीकरण से किसी कानून के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा;
- d) जो वाणिज्यिक रूप से गोपनीय, व्यापारिक रहस्य या बौद्धिक संपदा है;
- e) जो विदेशी पक्ष/ इकाई से गोपनीयता में प्राप्त किया गया हो;
- f) जिसके प्रकट होने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो;
- g) जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो;
- h) जो किसी अन्य सदस्य, कर्मचारी या तीसरे पक्ष से संबंधित प्रकृति का व्यक्तिगत हो;
- i) जो एनसीईएल और किसी तीसरे पक्ष के बीच किसी गोपनीयता समझौते और गैर-प्रकटीकरण द्वारा कवर किया गया हो;
- j) किसी अन्य वाणिज्यिक इकाई से संबंधित;
- k) जो किसी अन्य कानून द्वारा निषिद्ध है;
- l) बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किसी अन्य विषय के बारे में।

66. उपनियमों का संशोधन.-

- (1) सोसायटी के उपनियमों में संशोधन केवल सामान्य निकाय की बैठक के एक प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाएगा जिसमें कोरम मौजूद है और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाएगा।
- (2) ऐसे संशोधन पर विचार करने के लिए सभी सदस्यों को पन्द्रह दिन का स्पष्ट नोटिस पहले दिया जाएगा।

67. विवादों का निपटारा।

- (1) सोसायटी द्वारा अपने वेतनभोगी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवाद या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित औद्योगिक विवाद को छोड़कर, जो अधिनियम की धारा 84 में निर्दिष्ट सोसायटी के गठन, प्रबंधन या कारोबार से संबंधित है, सभी विवाद अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे।
- (2) विवादों को प्रस्तुत करने की सीमा अवधि अधिनियम की धारा 85 के उपबंधों के अनुसार होगी।
- (3) जहां कोई विवाद उप-खण्ड
(1) के अधीन मध्यस्थता के लिए भेजा गया है, वहां उसका निपटारा या निर्णय केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

68. सेवा विनियम.-

सोसायटी के पास अपने कर्मचारियों, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर भी शामिल हैं, की सर्विस की शर्तों, पे स्केल वगैरह को रेगुलेट करने के लिए सर्विस रेगुलेशन होंगे, जिन्हें बोर्ड समय-समय पर बनाएगा और उनमें बदलाव करेगा।

69. सामान्य मुहर.-

सोसायटी की एक कॉमन सील होगी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव की कस्टडी में रहेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तय प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव की मौजूदगी में लगाई जाएगी।

70. सदस्यों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम.-

सोसायटी अपने सदस्यों, डायरेक्टरों और कर्मचारियों के लिए को-ऑपरेटिव एजुकेशन प्रोग्राम आयोजित करेगी और ऐसे प्रोग्राम चलाने के लिए फंड देगी।

71. प्रबन्धन निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों का संघटन-

मैनेजमेंट के फैसले लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एसोसिएशन को एक तरीका बनाना होगा। जिन मामलों में कर्मचारियों की संख्या पचास से ज्यादा हो, वहाँ उन्हें अपने किसी एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व ऐसे स्तर या निकायों में दिलाने की व्यवस्था करनी होगी, जिन्हें समय-समय पर जरूरी समझा जाए।

72. विविध.-

- (1) साधारण निकाय या संचालक मण्डल का कोई भी कार्य उसके किसी सदस्य के चुनाव में किसी दोष के कारण या उसमें किसी रिक्ति के न भरे जाने के कारण अवैध नहीं समझा जाएगा।
- (2) यदि सोसायटी के उपनियमों की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उसे सलाह के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
(2A) इन उपनियमों के किसी प्रावधान और एमएससीएस अधिनियम, 2002 या एमएससीएस नियम, 2002 के किसी प्रावधान के बीच किसी संघर्ष की स्थिति में, अधिनियम/नियमों के प्रावधान ऐसे संघर्ष की सीमा तक प्रबल होंगे।
- (3) जिन मामलों के लिए इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, उनका निर्णय बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- (4) अगर सोसायटी के बाय-लॉज़ और सदस्यों के बीच कोई टकराव होता है, तो सोसायटी के बाय-लॉज़ ही लागू होंगे।
- (5) समिति एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 85ए तथा एमएससीएस नियम, 2002 के अन्तर्गत नियुक्त सहकारी लोकपाल के निर्देशों का पालन करेगी।

अस्वीकरण:

“इन उपविधियों के हिंदी संस्करण के अर्थ-निर्वचन में किसी प्रकार की शंका, अस्पष्टता अथवा विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेज़ी संस्करण प्रभावी होगा तथा उसे प्रामाणिक संस्करण माना जाएगा।”